14वीं वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011

14th ANNUAL REPORT

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन

NATIONAL HANDICAPPED FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, GOVT. OF INDIA)

रैड कॉस भवन, सैक्टर -12, फरीदाबाद.121007 (हरियाणा)
दूरभाष : **0129 -2287513, 2226910, 2264841,** टेलीफैक्स : **2284371**
ई मेल : **nhfdc97@gmail.com**
वैबसाइट : **www.nhfdc.nic.in**

Red Cross Bhavan, Sector-12, Faridabad 121007 (Haryana)
Phone : 0129-2287513, 2226910, 2264841, Telefax : 2284371
E-mail : nhfdc97@gmail.com
Website : www.nhfdc.nic.in

निदेशक मंडल

BOARD OF DIRECTORS

(23 अगस्त, 2011 की स्थिति के अनुसार)

(As on 23rd August, 2011)

1.	श्री हर्ष भाल Shri Harsh Bhal	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी Chairman-cum-Managing Director, NHFDC
2.	डा. (श्रीमती)विनिता शर्मा Dr. (Smt.) Vinita Sharma	सलाहकार और प्रमुख, साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एण्ड डिवैल्पमेन्ट (एसईईडी) डिवीजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग Adviser & Head, Science for Equity Empowerment & Development (SEED) Division, Department of Science & Technology
3.	श्री दीपक गुप्ता Shri Deepak Gupta	महाप्रबंधक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड General Manager, IDBI Bank Ltd.
4.	श्री राम निवास यादव Shri Ram Niwas Yadav	महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक General Manger Small Industries Development Bank of India

---

श्री रणजित कुमार मिश्र Shri Ranajit Kumar Mishra	कंपनी सचिव Company Secretary
आंतरिक लेखा परीक्षक	मैसर्स जय किशन गुप्ता एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स 2/20 डबल स्टोरी, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 014
Internal Auditors	M/s. Jai Kishan Gupta & Co. Chartered Accountants 2/20, Double Storey, Jangpura Extn., New Delhi - 110 014
सांविधिक लेखा परीक्षक	मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स 709-710, अंसल चैम्बर्स-2, 6 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
Statutory Auditors	M/s. Virmani, Roy & Kutty, Chartered Accountants, 709-710, Ansal Chambers-II, 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

सूची

INDEX

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशकों की रिपोर्ट	1-45
2.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	46
3.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	47-49
4.	तुलन पत्र	50
5.	आय-व्यय लेखा	51
6.	वार्षिक लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियाँ (अनुसूची 'क' से 'थ')	52-79
7.	नकद प्रवाह विवरण	80
8.	परोक्षी प्रपत्र	81

Sl.No.	Subject	Page No.
1.	Directors' Report	1-39
2.	Comments of Comptroller & Auditor General of India	40
3.	Report of Statutory Auditors	41-43
4.	Balance Sheet	44
5.	Income & Expenditure Account	45
6.	Schedules Annexed to and forming part of Annual accounts (Schedule 'A' to 'Q')	46-71
7.	Cash Flow Statement	72
8.	Proxy Form	73

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, रैडक्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद - 121007 में शुक्रवार 23 सितम्बर, 2011, दोपहर 12.00 बजे निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिए आयोजित की जायेगी :-

सामान्य कार्य:-

1. 31 मार्च 2011 तक निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और उक्त तिथि को समाप्त अवधि की आय तथा व्यय लेखा को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकृत करना।

2. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स का पारिश्रमिक निर्धारित करना, इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि, उचित लगे तो इसे बिना संशोधन के साथ या संशोधनों सहित पारित करना।

   संकल्प किया जाता है कि निगम एतद् द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224(8) (क क) और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई है) के अनुसरण में यह वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक, मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स के लिए रुपये 70,000/- (रुपये सत्तर हजार) तथा सेवा कर सहित राशि का लेखा परीक्षा शुल्क का अनुमोदन करती है।

   "साथ यह भी संकल्प किया जाता है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के संबंध में की गई यात्रा और प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जारी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा की जायेगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते नेशनल हैन्डीकैप्ड, फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन

ह०

(आर.के. मिश्र)

कम्पनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक 20 सितम्बर, 2011

टिप्पणी:- बैठक में भाग लेने के हकदार सदस्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने परोक्षी प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति (चाहे सदस्य है अथवा नहीं) को नियुक्त कर सकता है। परोक्षी प्रतिनिधि की मान्यता के लिए उनका नाम बैठक आयोजित होने के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा होना चाहिए कोरा परोक्षी फार्म संलग्न है।

निगम के सदस्यों को निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को आप के निगम के संकार्यों पर चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लेखा परीक्षित लेखा विवरण तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

1.1 समावेशन

इस निगम की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी तथा यह निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 24 जनवरी, 1997 को कंपनी के रूप में निगमित किया गया था ।

1.2 उद्देश्य

निगम के मुख्य उद्देश्यों का सार निम्नवत् है-

i) विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास गतिविधियों तथा स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना।

ii) विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों के उचित एवं दक्ष प्रबंधन के लिए उनके उद्यम कौशल को उन्नत करने के लिए अनुदान देना।

iii) विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास/स्वरोजगार के योग्य बनाने वाली व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देना।

iv) स्वरोजगार में लगे विकलांग व्यक्तियों को उनके द्वारा तैयार माल के विक्रय के लिए सहायता प्रदान करना।

1.3 प्राधिकृत पूंजी

इस रिपोर्ट की तिथि को इस निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 400.00 करोड़ रूपये है। 31 मार्च 2011 को निगम की प्रदत्त शेयर पूंजी 161.80 करोड़ रुपये है जो 1000/- रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 16,18,010 की संख्या के सामान्य शेयरों में बंटी हुई है। समस्त साम्य पूंजी भारत सरकार के पास है।

1.4 निगम से सहायता पाने के लिए पात्रता मानदंड

निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड निम्नवत् हैं:

कोई भी विकलांग व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने का पात्र है।

क) कोई भी भारतीय नागरिक जो 40% या अधिक विकलांग हो।

ख) आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो।

ग) वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5,00,000/- रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3,00,000/- रुपये से अधिक न हो।

घ) संबंधित शैक्षिक/तकनीकी /व्यावसायिक योग्यता और अनुभव।

1.5 निगम की योजनाएं

आपके निगम ने विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ अनेक ऋण आधारित व ऋण रहित योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य मध्यस्थ संस्थाओं (एससीए) तथा गैर सरकारी संगठनों (सूक्ष्म वित्त योजना के तहत) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। निगम की योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1.5.1 ऋण आधारित योजनाएं

ऋण आधारित योजनाओं में पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले विकलांग व्यक्तियों को आय अर्जक क्रियाकलापों हेतु सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋणों के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सहायता का विवरण निम्नवत् है:

क्रमांक	योजनाएं	अधिकतम ऋण (रुपये लाखों में)	लाभार्थी द्वारा (प्रतिवर्ष) देय ब्याज दर
1.	बिक्री/व्यापारिक गतिविधि	3.00	5-6 %
2.	सेवा क्षेत्र में लघु व्यवसाय	5.00	5-6 %
3.	वाणिज्यिक वाहनों की खरीद	10.00	5-8 %
4.	लघु औद्योगिक इकाई	25.00	5-8 %
5.	कृषि गतिविधियां	10.00	5-8 %
6.	मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी एवं ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु	10.00	5-8 %
7.	विदेशों में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण	15.00	3.5-4 %
8.	भारत में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण	7.50	3.5-4 %
9.	मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के अभिभावक संघ के लिए	5.00	5-6 %
10.	सूक्ष्म ऋण योजना	रु. 0.25 लाख लाभार्थी	5 % तक

सभी योजनाओं में विकलांग महिलाओं को ब्याज दर में 1% की छूट की अनुमति है। लेकिन शिक्षा ऋण (क्रम सं. 7 व 8) के मामले में, छूट 0.5% होगी।

1.5.2 गैर ऋण आधारित योजनाएं

आपका निगम विकलांग व्यक्तियों के हितार्थ निम्नलिखित गैर-ऋण आधारित गतिविधियाँ संचालित करता है;

I) दक्षता एवं उद्यमिता विकास वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संचालित/प्रायोजित करने हेतु अनुदान ।

II) लाभार्थियों को विभिन्न प्रदर्शनियों एवं मेलों में अधिकतम दक्षता उन्नयन हेतु विक्रय सहायता के तौर पर प्रायोजित करना ।

III) योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे अधिकारियों को अभिलक्षित वर्ग के प्रति संवेदनशील बनाना और कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों की मार्फत राज्य/जिला स्तरीय अधिकारियों में जागरूकता पैदा करना।

IV) विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ निगम की योजनाओं के विज्ञापन तथा प्रचार हेतु एससीए को निधि उपलब्ध कराना।

1.5.3 भुगतान अवधि

निगम की योजनाओं के तहत प्रदत्त ऋण की भुगतान अवधि अधिकतम दस वर्ष है। व्यावसायिक/शैक्षिक/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मामले में ऋण का भुगतान ऋण शुरू होने के सात वर्ष के भीतर किया जाएगा। सूक्ष्म ऋण योजना के मामले में भुगतान 3 वर्षों के भीतर किया जायेगा।

1.5.4 कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियाँ

निगम की निधियाँ संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित स्टेट चैनेलाइजिंग ऐजेन्सियों (एससीएज) के माध्यम से सारणीबद्ध की जाती है। इसके साथ-साथ ये एजेन्सियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के लाभार्थ निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहाँ स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियां अभी कार्यरत नहीं हैं वहाँ भी निगम प्रयासरत है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों की सूची **परिशिष्ट-I** पर हैं।

बैंक (पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा सहयोगिक करार के तहत) के माध्यम से ऋण सारणीबद्ध किये जा रहे हैं।

2. भारत सरकार से प्राप्त साम्य पूंजीगत सहायता

वित्तीय वर्ष 2010-11 में निगम ने भारत सरकार से साम्य पूंजीगत सहायता के तौर पर 50.00 करोड़ रुपये प्राप्त किए जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 9.00 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

3. निगम का कार्य निष्पादन

3.1 ऋणों का संवितरण

पिछले वित्तीय वर्ष 2009-10 की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में निगम ऋण का संवितरण बढ़ाने के साथ-साथ लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में सफल रहा है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में संवितरण का ब्यौरा निम्नवत है -

वित्तीय वर्ष →	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
(राशि संवितरित करोड़ रुपये में)	**31.84**	**30.80**
सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (औसत ऋण के आधार पर अग्रिम निधि के मुकाबले लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सहित हुए।)	6356	6093

3.1.1 योजनावार कार्य निष्पादन

रिपोर्ट में वर्णित वित्तीय वर्ष के दौरान निगम का योजनावार ऋण संवितरण कार्य निष्पादन निम्नवत है:

क्रमांक	योजना/क्षेत्र	राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थी *
i)	व्यापार / बिक्री गतिविधि	11.31	2117
ii)	सेवा क्षेत्र गतिविधि	5.59	436
iii)	कृषि (सम्बद्ध) गतिविधि	5.88	1871
iv)	कृषि गतिविधि	1.20	60
v)	लघु कारोबार गतिविधि (विनिर्माण/उत्पादन)	3.73	111
vi)	वाणिज्यिक किराए हेतु वाहन की खरीद	0.43	30
vii)	शिक्षा ऋण	0.10	4
viii)	सूक्ष्म ऋण योजनाएं	3.60	1727
	कुल	**31.84**	**6356**

* स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को प्रदान अग्रिम निधियों के मुकाबले लाभार्थियों की (औसत आधार पर) अनुमानित संख्या.

3.1.2 वर्ष के दौरान दिए गए ऋण का विकलांगता वार ब्यौरा

निगम का लक्ष्य विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना है तथा इसमें विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किसी विशेष श्रेणी को तरजीह नहीं दी जाती। हालांकि यह देखने में आया है कि ऋण का बड़ा हिस्सा लक्षित वर्ग में अस्थि विकलांग श्रेणी के लाभार्थ दिया गया। विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों में वर्ष के दौरान ऋण संवितरण का ब्यौरा निम्नवत है:

विकलांगता का प्रकार	राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थी
अस्थि विकलांग	27.51	5493
मानसिक मंदता	0.72	137
दृश्य विकलांग	1.91	323
श्रव्य विकलांग	1.70	403
कुल	**31.84**	**6356**

3.1.3 ऋण का पुरुष-महिलावार संवितरण:

2010-11 के दौरान निगम की योजनाओं के तहत पुरुष-महिलावार ऋण सहायता निम्नवत है:

लिंग	लाभार्थी		संवितरण ऋण	
	संख्या	प्रतिशत	राशि (रु. करोड़ में)	प्रतिशत
महिला	1647	25.91	6.67	20.95
पुरूष	4709	74.01	25.17	79.05
कुल	**6356**	**100.00**	**31.84**	**100.00**

3.1.4 राज्यवार ऋण का संवितरण

निगम का कार्य निष्पादन मुख्यत: कार्यान्वयन एजेन्सियों के कार्य प्रदर्शन पर निर्भर है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में ऋणों का राज्यवार संवितरण पिछले वित्तीय वर्ष 2009-10 के तुलनात्मक ब्यौरे के साथ **संलग्नक-II** पर है।

3.1.5 2010-11 के दौरान ऋण संवितरण में शीर्ष तीन राज्य

निगम अपनी स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से आग्रह करता रहा है कि वे निगम की योजनाओं के अंतर्गत अपने संबद्ध राज्यों में विद्यमान लक्षित समूहों तक विस्तार को बढ़ाएं। वर्ष 2010-11 के दौरान निगम से ऋण लेने वाले शीर्ष तीन राज्य निम्नवत हैं:

रैंक	राज्य का नाम	ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)
1.	तमिलनाडु	7.96
2.	महाराष्ट्र	4.09
3.	हिमाचल प्रदेश	2.33

3.1.6 वर्ष 2010-11 के दौरान लाभार्थी विस्तार में शीर्ष तीन राज्य

निगम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनी योजनाओं के तहत लाभार्थी समावेशन का मकसद रखता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निगम की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के समावेशन में शीर्ष तीन राज्य निम्नलिखित हैं:

रैंक	राज्य का नाम	ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)
1.	तमिलनाडु	3239
2.	उड़ीसा	365
3.	महाराष्ट्र	310

4. प्रगामी उपलब्धियाँ

निगम ने गत वर्षों में कई क्षेत्रों में प्रगामी उपलब्धियां हासिल की हैं जो निम्नवत हैं:-

4.1 ऋणों का संवितरण

निगम ने गत वर्षों में ऋण संवितरण में लगातार सुधार किया है। विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ गत दस वर्षों में ऋणों का वार्षिक संवितरण निम्नानुसार हैं;

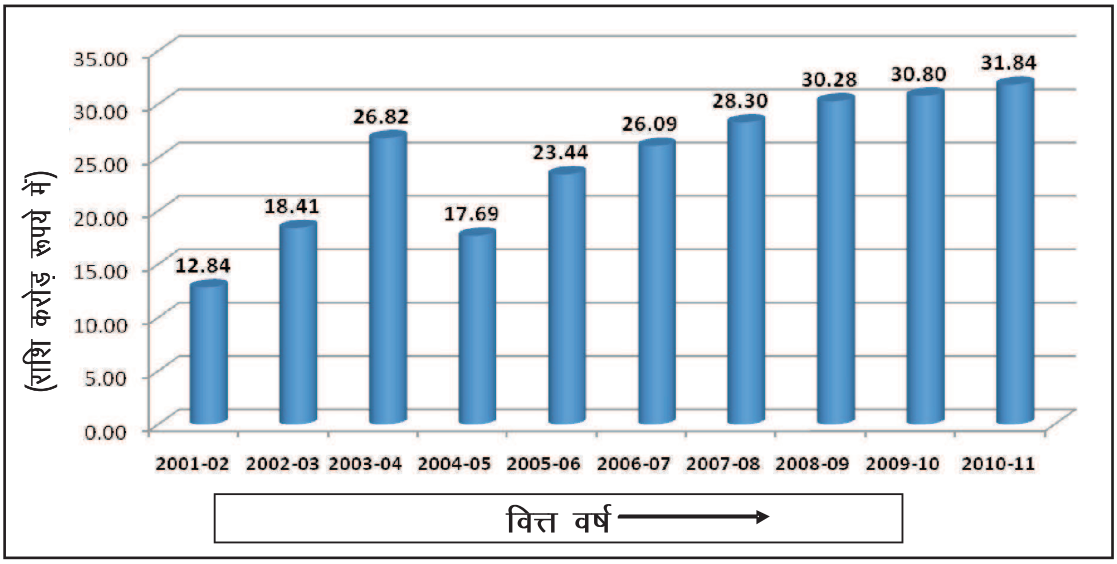

4.2 लाभार्थी समावेशन

विगत वर्षों में लाभार्थी समावेशन में प्रगति हुई है। पिछले दस वर्षों में निगम की योजनाओं के तहत वर्षवार लाभार्थी समावेशन निम्नानुसार है:

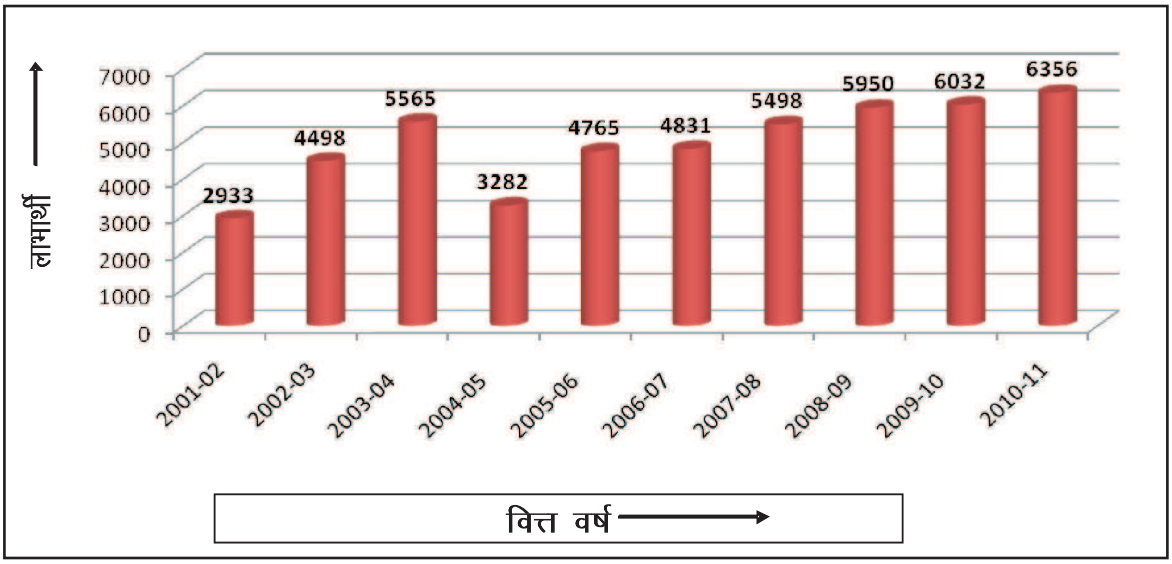

4.3 सहमति ज्ञापन 2009-10 के लक्ष्यों की तुलना में कार्य निष्पादन दर

निगम वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु सहमति ज्ञापन निष्पादित कर चुका था। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान निगम की संपूर्ण उपलब्धियों को लोक उद्यम विभागों ने पाँच श्रेणियों यथा: अत्युत्तम, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषप्रद एवं खराब के पैमाने पर जाँचते हुए **"अत्युत्तम"** का दर्जा दिया।

4.4 सहमति ज्ञापन 2010-11 के लक्ष्यों की उपलब्धि

निगम ने सहमति ज्ञापन 2010-11 में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को हासिल किया है। आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार, सहमति ज्ञापन मापदंडों की दृष्टि से निगम को संपूर्ण उपलब्धि 'बहुत अच्छी है'। 2010-11 के एमओयू लक्ष्य **संलग्नक-III** में दिए गए हैं।

5.1 बाजार हस्तक्षेप उपाय

निगम द्वारा मुख्यत: बाजार सहायता के तौर पर लाभार्थियों के स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इन मेलों में भाग लेने वाले लाभार्थियों को स्थान, यात्रा व रहने के व्यय की प्रतिपूर्ति, सामान लाने की आंशिक लागत तथा लाभार्थी एवं उसके अनुरक्षक को दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इन गतिविधियों में शामिल होने के अवसर मिलने से लाभार्थियों को बाजार का अनुभव मिलता है। ऐसी भागीदारी से लक्षित वर्ग की योग्यता उजागर होती है तथा आम जनता में उनके संबंध में जागरूकता आती है।

5.1.1 राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियाँ

वर्ष 2010-11 के दौरान निगम लाभार्थियों की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों यथा: आईआईटीएफ, नई दिल्ली एवं शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में भाग लेने में सहायक रहा। वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नवत है:

क्रमांक	प्रदर्शनी	लाभार्थियों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सं.	उपलब्ध कराए गए स्टालों की संख्या	एनएचएफडीसी लाभार्थियों द्वारा बिक्री की राशि
1.	आईआईटीएफ, नई दिल्ली	21	8	10	17.76 लाख रुपये
2.	शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली	22	7	20	16.36 लाख रुपये
	कुल	43	15	30	34.12 लाख रुपये

दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आयोजित शिल्पोत्सव 2010 में एनएचएफडीसी का लाभार्थी।

दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आयोजित शिल्पोत्सव 2010 में एनएचएफडीसी के लाभार्थी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए।

5.1.2 राज्य/जिला स्तरीय प्रदर्शनियाँ

वर्ष 2010-11 के दौरान उपर्युक्त राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनियों के अलावा निगम अपने लाभार्थियों की विभिन्न राज्य/जिला स्तरीय प्रदर्शनियों की भागीदारी में सहायक रहा। इन प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नवत है:

क्रमांक	प्रदर्शनी	लाभार्थियों की संख्या
1.	मोगा स्थित पीआईसी, पंजाब	1
2.	भिवानी स्थित पीआईसी, थाणे, महाराष्ट्र	1
3.	इसराणा स्थित पीआईसी, पानीपत, हरियाणा	1
4.	नई दिल्ली में पीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में प्रदर्शनी	3
5.	मेसर्स फ्रेन्डस एक्जीबिशन एण्ड प्रमोशन द्वारा प्रदर्शनी	1
6.	तमिलनाडु में चेन्नई स्थित चेन्नई शिल्पोत्सव	6
7.	रामटेक स्थित पीआईसी, नागपुर, महाराष्ट्र	1
8.	रायबरेली स्थित पीआईसी, उत्तर प्रदेश	1
9.	थाणे स्थित पीआईसी, महाराष्ट्र	1
10.	कांगड़ा स्थित पीआईसी, हिमाचल प्रदेश	1
11.	बालासोर स्थित पीआईसी, उड़ीसा	1
12.	हारिज तालुका स्थित पीआईसी, गुजरात	2

रायबरेली, उत्तर प्रदेश के जनसूचना अभियान के दौरान एनएचएफडीसी के अधिकारी जानकारी प्रदान करते हुए।

एनएचएफडीसी के लाभार्थी रामटेक, नागपुर, (महाराष्ट्र) में आयोजित जनसूचना अभियान में शामिल होते हुए।

5.2 दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु सहायता

निगम समझता है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी बाजारीय परिस्थितियों में उचित/अपेक्षित दक्षता के अभाव में लक्ष्य समूह स्वरोजगार गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम नहीं है अत: निगम ने इस क्षेत्र में विशेष बल दिया है।

अब तक निगम ने **17** राज्यों में **939** विकलांग व्यक्तियों को **43** ईडीपी/दक्षता विकास प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2010-11 में **3 राज्यों** में 145 विकलांग व्यक्तियों को **7** ईडीपी एवं दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया जिसका ब्यौरा **संलग्नक-IV** पर है।

मल्लेश्वरम्, बेंगलूरू में एनएचएफडीसी द्वारा प्रायोजित ईडीपी एवं दक्षता विकास प्रशिक्षण में विकलांग प्रशिक्षु प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए।

अडुगोडी, बेंगलूरू में विकलांगजनों को ईडीपी एवं दक्षता विकास प्रशिक्षण।

एईपीसी, अडुगोडी, बेंगलूरू में विकलांगजनों को ईडीपी एवं दक्षता विकास प्रशिक्षण

मल्लेश्वरम् (बेंगलूरू) में विकलांगजनों को दक्षता (सिलाई) प्रशिक्षण।

5.3 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सम्मेलन

निगम विकलांग व्यक्तियों के लाभ हेतु बनी योजनाओं के प्रभावी अमल के संबंध में कार्यान्वयन संस्थाओं से सार्थक संवाद रखने में विश्वास रखता है। इस उद्देश्य से निगम ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित पांच क्षेत्रीय स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया था;

i) गुवाहाटी, असम

ii) मुम्बई, महाराष्ट्र

iii) बंगलुरु, कर्णाटक

iv) रायपुर, छत्तीसगढ़

v) जयपुर, राजस्थान

ऐसी क्षेत्रीय स्तरीय सम्मेलनों से विचारों के आदान-प्रदान व बुनियादी स्तर की सच्चाइयों से जुड़े मुद्दों को समझने व उनका समाधान करने में मदद मिलती है।

19 जनवरी, 2011 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन।

12 जनवरी, 2011 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में संपन्न क्षेत्रीय सम्मेलन।

22 दिसम्बर, 2010 को मुंबई (महाराष्ट्र) में संपन्न क्षेत्रीय सम्मेलन।

5 जनवरी, 2011 को बंगलूरू, कर्नाटक में संपन्न क्षेत्रीय सम्मेलन।

5.4 कार्यशालाएं

निगम ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निगम की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन विषयक सूचना के प्रचार एवं चर्चा हेतु कार्यशालाएं आयोजित की। रिपोर्ट के अधीन वर्ष में निगम ने पश्चिमी बंगाल, मेंघालय, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में 22 कार्यशालाएं आयोजित की।

निगम की योजनाओं पर रांची, झारखण्ड में संपन्न कार्यशाला।

5.5 निगरानी और क्षेत्र निरीक्षण

संवितरण पश्चात् निगरानी उपाय के तौर पर, निगम कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों तथा निगम की योजनाओं में सहायता पाने वाले लाभार्थियों का क्षेत्र निरीक्षण करता है।

ये निरीक्षण निगम के अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं ताकि वे बुनियादी वास्तविकताओं को जान सकें तथा लक्षित समूह से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील बन सकें।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एससीएज द्वारा आंध्रप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ और गुजरात में लाभार्थियों के संबंध में निरीक्षण किया गया, साथ ही उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्वैच्छिक संगठनों और उनसे सहायता पाने वाले लाभार्थियों का क्षेत्र निरीक्षण किया गया।

अतएव, 2010-11 के दौरान निगम के अधिकारियों ने 199 लाभार्थियों के संबंध में क्षेत्र निरीक्षण किया।

शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त महिला लाभार्थी त्रिवेंद्रम, केरल में अपने स्वरोजगार उद्यम स्थल पर।

5.6 स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों (एससीएज) का कार्यकरण

निगम की योजनाओं के तहत लक्ष्य समूह को ऋण के संवितरण में एससीए का योगदान बड़े पैमाने पर अलग-अलग तरह का है। ऋणों का ग्रहण विभिन्न तत्त्वों जैसे बकाया देय राशियों का भुगतान ऋण का उपयोग सरकारी प्रतिभूति की उपलब्धता आदि पर निर्भर है।

निगम राज्य सरकार के प्राधिकारियों एवं स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से निरंतर संपर्क रखता है ताकि लक्ष्य समूह के लाभार्थ निधि प्रवाह बना रहे। निगम ने एससीएज को अनुमानतः निधियां आवंटित करते हुए एससीएज को अग्रिम वित्तपोषण के रुप में 50 प्रतिशत निधियां प्रदान की थी ताकि उधार की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। आलोच्य वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण संवितरण में एसीएज का कार्यनिष्पादन /योगदान एससीएज हेतु आनुमानिक आवंटन तथा कम ऋण ग्रहण के कारण **संलग्नक-V** पर दिए गए हैं।

5.7 निगम की सर्वोत्तम स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

लक्ष्य समूह के लाभार्थ बनी निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सर्वोत्तम प्रयास करने वाले एससीए को बढ़ावा देने हेतु निगम के अनुरोध पर सर्वोत्तम राज्य मध्यस्थ एजेन्सी राष्ट्रीय पुरस्कार की संस्थापना की गई है, इससे एससीए को पहचान मिलती है।

वर्ष 2009-10 में निगम के सर्वोत्तम एससीए का पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम को दिया गया। निदेशक मंडल ने एससीए को उसके अच्छे कार्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दी है। यह आशा की गई है कि एससीए लक्षित वर्ग के लाभार्थ बनी निगम की योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन करने की भावना को बरकरार रखेगी।

6. वित्तीय निष्पादन

रिपोर्ट वर्ष में निगम का वित्तीय निष्पादन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलनात्मक आंकड़ों के साथ निम्नवत् है:

विवरण	2010-11 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु (रु. लाखों में)	2009-10 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु (रु. लाखों में)
कुल आय	443.44	373.85
प्रचालन एवं सामान्य व्यय	258.92	299.95
अधिशेष (मूल्यह्रास से पूर्व, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान का पूर्वावधि समायोजन, अधिक प्रावधान का पुनरांकन)	184.52	73.90
पूर्ववर्ती वर्ष के पुनरांकन हेतु अत्यधिक प्रावधान।	1.84	258.46
संदिग्ध ऋण प्रदान करने से पूर्व अधिशेष एवं मूल्यह्रास	186.36	332.36
संदिग्ध व अशोध्य ऋणों हेतु प्रावधान	9.79	13.12
मूल्यह्रास	9.79	13.49
पूर्वावधि समायोजन से पूर्व अधिशेष	166.77	305.75
पूर्वावधि आय/ (व्यय) + (-)	(11.48)	(31.00)
वर्ष हेतु अधिशेष (घाटा)	155.29	274.75

6.1 ऋणों से आय

निगम ने अपनी प्रमुख गतिविधियों द्वारा राजस्व में सुधार दिखाया है। ऋणों से प्राप्त आय में बढ़ोत्तरी विगत चार वर्षों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है जिसे नीचे ग्राफ में दिखाया गया है।

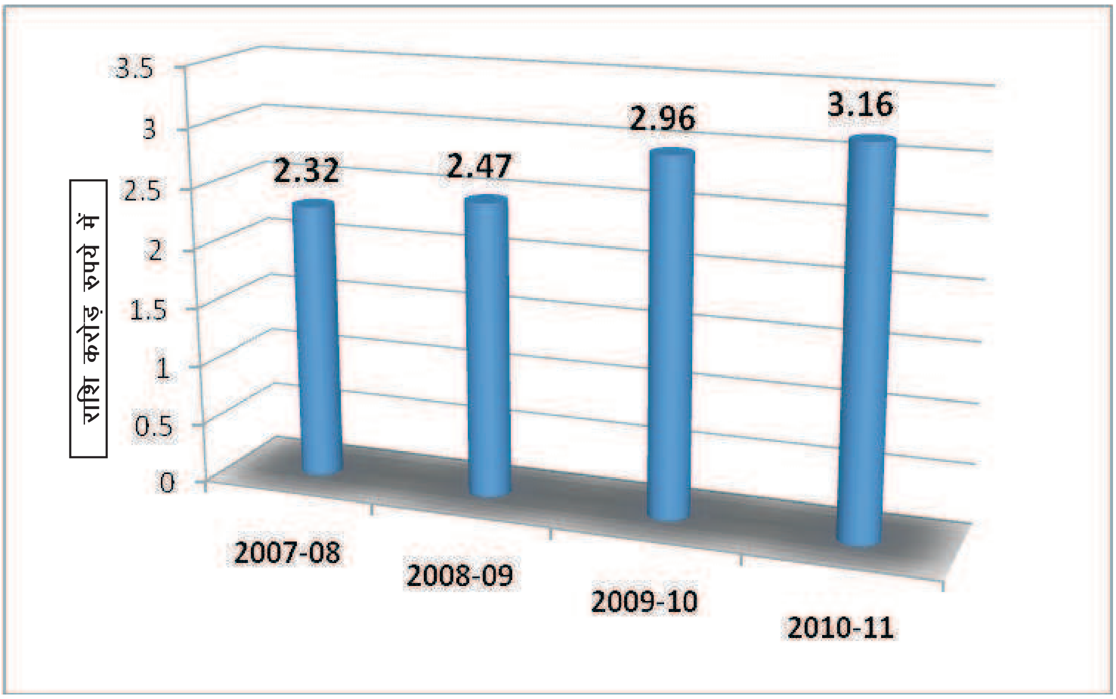

6.2 अधिशेष का विनियोजन

चूंकि निगम धारा 25 के तहत एक कंपनी है इसलिए लाभांश घोषित करना आवश्यक नहीं। अतएव 1,55,29,296/- रुपये की संपूर्ण अधिशेष राशि निगम के सामान्य आरक्षित लेखा को हस्तांतरित हो चुकी है। 31.3.2011 को सामान्य आरक्षित लेखा में 27,58,26,539/- रुपये थे।

7. विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (प्रशासनिक मंत्रालय) ने निगम को शैक्षिक वर्ष 2009-10 से विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय कोष) का प्रशासन सौंपा है। साथ ही शैक्षिक वर्ष 2011-12 से निगम को भिन्न तरीके से सक्षम विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) संबंधित कार्य सौंपा गया है। आपके निगम ने इन योजनाओं के व्यापक प्रचार के वास्ते इलेक्ट्रानिक तथा समाचार पत्र माध्यम का इस्तेमाल किया। इसके नतीजतन, छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि) के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

गत दो वर्षों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निधियों में से छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि) के अंतर्गत दी गई छात्रवृत्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त आवेदन	छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्तियों की राशि
2009-10	3305	417	रु. 52,81,975/-
2010-11	3640	470	रु. 60,15,775/-

8.1 मानव संसाधन

निगम अपनी गतिविधियाँ 32 कार्मिकों की कार्य शक्ति से चलाने में सक्षम हैं जो कि स्वीकृत संख्या से कम है।

निगम में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है -

(31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)

कार्मिक वर्ग	स्वीकृत पद	भरे हुए	रिक्त
क	14	11	03
ख	02	02	शून्य
ग	18	14	04
घ	05	05	शून्य
कुल	**39**	**32**	**07**

रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, निगम में एक कर्मचारी की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक (लेखा) के पद पर हुई है। इसी वर्ष के दौरान सहायक प्रबंधक (वित्त) के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी निगम को छोड़कर अन्य संगठन में उच्च पद पर कार्य करने के वास्ते चला गया।

8.2 विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति

निगम में 31.3.2011 को विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व विषयक सूचनाएं इस रिपोर्ट के **संलग्नक VI** पर हैं।

निगम में 31.3.2010 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व विषयक सूचनाएं इस रिपोर्ट के **संलग्नक-VII** पर हैं।

8.3 कर्मचारियों का ब्यौरा

निगम का कोई भी कर्मचारी कंपनी (कर्मचारी ब्यौरा) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

9.1 आईएस/आईएसओ 9001: 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन

निगम ने पहले गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएस/आईएसओ 9001:2000 स्थापित की थी। निगम ने 4 नवंबर, 2010 से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के आईएस/आईएसओ 9001:2008 मानक अपना लिए।

निगम की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की जांच भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा की गई और आईएस/आईएसओ 9001:2008 के तहत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के संबंध में निगम को संशोधित लाइसेंस सं. एनआरओ/क्यूएससी/एल-9002437 जारी किया गया।

9.2 राजभाषा कार्यान्वयन

निगम कार्यालयी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु बढ़ावा देता है। सितम्बर 2010 में निगम में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान कई प्रतियोगिताएं कराई गई।

वर्ष के दौरान बहुत से पत्र/दस्तावेज हिंदी में अनुदित कराए गए निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित हुई जिसमें राजभाषा प्रगति की समीक्षा की गई।

निगम की विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ बनी योजनाओं विषयक मुद्रित सामग्री हिंदी में प्रकाशित है। निगम की वैबसाइट (www.nhfdc.nic.in) हिन्दी और अंग्रेजी में अनुरक्षित है।

एनएचएफडीसी द्वारा हिन्दी पखवाड़ा–2010 का आयोजन।

सीएमडी, एनएचएफडीसी हिंदी पखवाड़ा के उद्घाटन के अवसर पर गृह मंत्री, भारत सरकार का संदेश पढ़ते हुए।

9.3 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान विदेशी मुद्रा का कोई आय-व्यय नहीं हुआ।

9.4 जमा की प्राप्ति

संदर्भाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

9.5 निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

निदेशक मंडल ने बताया है कि :-

- वार्षिक लेखा तैयार करते समय लागू लेखाकरण मानकों के पालन के साथ-साथ सात्विक विचलन के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इंगित बिन्दुओं को छोड़कर उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

- निदेशकों ने लगातार लेखाकरण नीतियों का चयन अपनाया है और ऐसे निर्णय व आंकलन किये हैं जो युक्तिसंगत, विवेकपूर्ण हों, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निगम की स्थिति तथा उक्त अवधि के आय एवं व्यय का सही तथा स्पष्ट दृष्टिकोण उभरकर आ सके।

- निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।

- निदेशकों ने वार्षिक लेखा प्रचलित तरीके के आधार पर तैयार किया है।

9.6 वित्त वर्ष 2010-11 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स विरमानी रॉय एण्ड कुट्टी, चाटर्ड अकाउन्टेन्ट नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के पत्र सं. सीए V/ सीओवाई/सेन्ट्रल गवर्मेन्ट, हैंडिफ (1)/429 दिनांक 21.7.2010 के लिए कम्पनी के विधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किए गए थे।

सांविधिक लेखाकारों ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए कम्पनी के वार्षिक खातों की लेखाकारों के प्रतिवेदन में टिप्पणियों/अर्हता के संबंध में प्रबंधन के उत्तर इस प्रतिवेदन में **अनुलग्नक-VIII** के रूप में लगे हैं।

9.7 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान महत्वपूर्ण दिवस/कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निगम ने विभिन्न महत्वपूर्ण दिवस/कार्यक्रम मनाई। इनमें से कुछ कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

क) आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाना

आपके निगम ने 21 मई 2010 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। इस मौके पर निगम के सभी कर्मचारियों ने आतंकवाद विरोधी शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आतंकवाद से लड़ने में प्रत्येक के दायित्व पर जोर दिया।

ख) सांप्रदायिक सौहार्द अभियान सप्ताह

निगम ने 19 नवंबर, 2010 से आरंभ हुए तथा 25 नवंबर, 2010 को समाप्त हुए सप्ताह को सांप्रदायिक सौहार्द अभियान सप्ताह के रूप में मनाया। सभी कर्मचारियों ने 19-11-2010 को राष्ट्रीय एकता शपथ ली।

इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी कर्मचारियों ने सांप्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता और इसे बढ़ावा देने के तरीकों संबंधी चर्चा में भाग लिया।

यह कार्यक्रम 25.11.2010 को झंडा दिवस के रूप में मानते हुए समाप्त हुआ। सभी कर्मचारियों ने नेशनल फाउन्डेशन ऑफ कम्युनल हारमोनी (एनएफसीएच) के लिए स्वेच्छा से अंशदान दिया। 1382/-रुपये की राशि निगम के कर्मचारियों से एकत्रित हुई और उसे एनएफसीएच के खाते में डाल दिया गया।

ग) सद्भावना दिवस

निगम ने भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जयंती 20 अगस्त, 2010 को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। कर्मचारियों ने इस मौके पर सद्भावना दिवस शपथ लेने के साथ-साथ यह शपथ भी ली कि वे यथा संभव रूप में राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देंगे।

10. निगम प्रशासन

आपके निगम के निदेशकों का निगम के मामलों के बारे में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा में विश्वास है। लोक उद्यम विभाग निगम प्रशासन पर दिनांक 14 मई 2010 को का. ज्ञापन 18 (8)/2005 जीएम द्वारा संशोधित दिशा निर्देश जारी कर चुका है।

11 फरवरी, 2011 को हुई निगम के निदेशक मंडल की 64वीं बैठक में इस आशय का संकल्प पारित किया गया है जिसमें निगम में कार्यान्वयन हेतु डीपीई ओ.एम.न. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी निगम प्रशासन के दिशानिर्देश स्वीकृत किए गए हैं। आपका निगम उक्त दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं को लागू कर रहा है।

10.1 वित्तीय विशेषताएं

निगम पिछले वित्तीय वर्ष 2009-10 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न वित्तीय मापदंडों के मामले में अच्छी प्रगति कर पाया है।

इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय मापदंड और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	ब्यौरा	राशि (करोड़ रुपये में)		परिवर्तन
		2010-11	2009-10	
i)	कुल आय	4.43	3.74	18.61%
ii)	ऋणों से आय	3.16	2.96	6.92%
iii)	अन्य आय	1.27	0.78	62.87%
iv)	प्रशासन व अन्य व्यय	0.75	1.26	40.47%
v)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**0.09**	**0.13**	25.35%

10.2 निगम के प्रकार्य

वर्ष के दौरान निगम के प्रकार्यों का परिणाम निम्नलिखित अनुपातों में दर्शाया गया है:

i)

क्रमांक	ब्यौरा	राशि
i	प्रति कर्मचारी संवितरण	99.47 लाख रुपये
ii	प्रति कर्मचारी अधिशेष	4.85 लाख रुपये
iii	ऋण लागत (डी/डी हेतु प्रावधान सहित)	8,439 लाख रुपये

ii) वर्षों से निगम के संपूर्ण प्रकार्य निम्नलिखित संकेतकों द्वारा वर्णित हैं;

क्रमांक	ब्यौरा	राशि
i	31.3.2011 तक ऋणों का संवितरण	265.26 करोड़ रुपये
ii	31.3.2011 तक ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	53,760

iii) **ऋण का व्यापारवार वर्गीकरण**

निगम विभिन्न आय अर्जक गतिविधियों के लिए विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ ऋण देता रहा है। नीति के तौर पर, लाभार्थी अपनी इच्छानुसार कोई भी परियोजना/उद्यम स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। निगम लाभार्थी के निर्णय को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए लाभार्थियों के मामले में निम्नलिखित आंकडे लक्षित समूह के पसंदीदा क्षेत्रों/गतिविधियों को दर्शाते हैं:

क्रमांक	योजना/क्षेत्र	लाभार्थी		संवितरण	
		चरम संख्या	प्रतिशत	राशि (करोड़ रु.में)	प्रतिशत
i)	व्यापार/बिक्री गतिविधि	28,838	53.64	137.05	51.67
ii)	सेवा क्षेत्र गतिविधि	9,763	18.16	54.61	20.59
Iii)	कृषि (सहायक) गतिविधि	7,580	14.10	31.31	11.80
iv)	कृषि गतिविधि	680	1.26	9.01	3.40
v)	लघु कारोबार गतिविधि (विनिर्माण/ उत्पादन)	952	1.77	6.47	2.44
vi)	वाणिज्यिक किराए के लिए वाहन खरीद	758	1.41	18.91	7.13
vii)	शिक्षा ऋण	41	0.08	0.84	0.32
viii)	सूक्ष्म ऋण योजना	5,148	9.58	7.06	2.66
	कुल	**53,760**	**100.00**	**265.26**	**100.00**

iv) पुरुष महिलावार ऋण वितरण

निगम विकलांग महिलाओं को अपनी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता द्वारा उन्हें शक्ति संपन्न करने के लिए बढ़ावा देता है। इस उद्देश्य से, निगम ब्याज दर में छूट की अनुमति देता है। (1 प्रतिशत सभी योजनाओं के तहत सिवाय शिक्षा ऋण जिसमें छूट 0.5 प्रतिशत है)

31.3.2011 तक निगम की योानाओं के अंतर्गत पुरुष महिलावार ऋण वितरण निम्नानुसार है:

पुरुष-महिला	लाभार्थी		संवितरित राशि	
	चरम संख्या	प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत
पुरुष	42887	79.77	217.06	81.83
महिला	10873	20.23	48.20	18.17
कुल	**53760***	**100.00**	**265.26**	**100.00**

(*) एससीएज को प्रदान अग्रिम निधियों के मुकाबले औसत ऋण के आधार पर लाभार्थियों की अनुमानित संख्या शामिल है।

v) विकलांगत श्रेणीवार ब्यौरा (संचित)

निगम का सभी श्रेणियों के विकलांगों के प्रति दायित्व है। तथापि, यह पाया गया है कि अस्थि विकलांग व्यक्तियों की संख्या निगम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों में सबसे अधिक है।

31.3.2011 तक निगम से सहायता प्राप्त विभिन्न श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

क्रमांक	विकलांगता श्रेणी	लाभार्थी		संवितरण	
		चरम संख्या	प्रतिशत	राशि (करोड रु. में)	प्रतिशत
1.	अस्थि विकलांग	47,902	89.10	235.59	88.81
2.	मानसिक रूप से मंदव्यक्ति	897	1.67	5.22	1.97
3.	दष्टि विकलांग	2.940	5.47	14.32	5.40
4.	श्रव्य विकलांग	2.021	3.76	10.13	3.82
	कुल	**53,760**	**100.00**	**265.26**	**100.00**

vi) **राशिवार ऋण वितरण**

निगम की योजनाओं के अनुसार, आय अर्जक गतिविधि/उद्यम और ऐसे उद्यम में निवेश केवल लाभार्थी की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी, यह देखा गया है कि अधिकांश ऋण कम लागत वाली परियोानाओं हेतु प्रदान किया गया है।

ऋण राशि के आधार पर 31.3.2011 तक लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	ऋण सीमा	लाभार्थी		संवितरण	
		चरम संख्या	प्रतिशत	राशि (करोड रु. में)	प्रतिशत
1.	50,000 रुपये तक	43,780	81.44	135.69	51.15
2.	50,000 रुपये से ऊपर और 1 लाख रुपये तक	7,938	14.77	85.41	32.20
3.	1 लाख रुपये ऊपर और 5 लाख रुपये तक	2,023	3.76	42.87	16.16
4.	5 लाख रुपये से ऊपर	19	0.04	1.29	0.49
	कुल	**53.760**	**100.00**	**265.26**	**100.00**

10.3 बोर्ड का गठन और निदेशक गण

निगम के कार्यों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें बोर्ड का गठन निम्नानुसार

क्रमांक	ब्यौरा	संख्या	वर्तमान प्रस्थिति
1.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	1	श्री हर्ष भाल, आईआईएस
2.	विकलांग व्यक्तियों के लिए/ प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी सदस्य (प्रत्येक विकलांगता श्रेणी से एक व्यक्ति)	3	रिक्त
3.	जैव चिकित्सीय इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/ अनुसंधान संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति	1	डा.(श्रीमती) विनिता शर्मा, सलाहकार ओर प्रमुख एसईईडी, डिवीजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
4.	आईडीबीआई का प्रतिनिधि	1	श्री दीपक गुप्ता महाप्रबंधक,निवेश प्रकोष्ठ, आईडीबीआई
5.	एसडीबीआई का प्रतिनिधि	1	श्री आर एन यादव महाप्रबंधक, एसआईडीबीआई
6.	विकास आयुक्त, लघु उद्योग/विकास आयुक्त, हस्तशिल्प/ विकास आयुक्त, लघु उद्योग/ विकास आयुक्त, हस्तशिल्प का प्रतिनिधि	1	रिक्त
7.	कल्याण मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव	1	रिक्त
8.	एमडी, एनएसएफडीसी	1	रिक्त
9.	संयुक्त सचिव, (एचडब्ल्यू) कल्याण मंत्रालय	1	रिक्त
10.	एमडी/सीएमडी , एएलआईएमसीओ	1	रिक्त

सेवानिवृत्त, बर्खास्तगी, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा कारण से निदेशक पद में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेश (क्रमांक-1 ऊपर) निगम का कार्यपालक निदेशक है। ऊपर क्रमांक 2 में वर्णित निदेशक गैर-सरकारी निदेशक हैं। क्रमांक 3 से 10 पर उल्लिखित निदेशक पद समग्र रूप से पदेन है।

निगम प्रशासन पद डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के खंड 3.1.4 में दी गई स्वतंत्र निदेशक की परिभाषा के अनुसार निगम के सभी निदेशक स्वतंत्र निदेशक हैं। (सीएमडी को छोड़कर क्योंकि वह अंशकालिक निदेशक नहीं है)

10.4 पारिश्रमिक समिति

निगम ने 11 फरवरी, 2011 को हुई बोर्ड की 64वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

10.5 निगम की वार्षिक साधारण बैठकें

निगम की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण निम्नानुसार है;

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	या बैठक में कोई विशेष संकल्प पारित हुआ
2010	29.9.2010	पूर्वाह्न 11.00 बजे	निगम का पंजीकृत कार्यालय रेड क्रास भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007 (हरियाणा)	नहीं
2009	23.9.2009	अपराह्न 4.00 बजे	तदेव	नहीं
2008	25.9.2008	अपराह्न 12.30 बजे	तदेव	नहीं

10.6 संचार साधन

निगम प्रभावी संचार हेतु समाचार पत्र और इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों का प्रयोग करता है। निगम की वेबसाइट www/nhfdc.nic.in की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी/विषयवस्तु निम्नानुसार है;

i) निगम की मुख्य गतिविधियों/निर्णयों से संबंधित सूचना यह सूचना मासिक आधार पर दी जाती है।

ii) प्राप्त हुए सूचना का अधिकारी संबंधी आवेदनों, प्रत्युत्तर आदि के संबंध में सूचना

iii) निगम के निदेशकों और अधिकारियों संबंधी सूचना

iv) सूचना का अधिकार संबंधी नियमावली

v) निगम की विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ योजनाएं

vi) आवेदकों (विकलांग विद्यार्थियों) का विवरण जिन्हें छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

vii) विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ निगम से ऋण लेने वाले गैर सरकारी संगठनों का नाम व पता;

viii) निगम की राय मध्यस्थ एजेन्सियों के नाम पता तथा टेलीफोन नम्बर

ix) विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों हेतु आरक्षण से संबद्ध मामलों के लिए निर्दिष्ट संपर्क अधिकारी।

निगम विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के वास्ते जन सूचना कार्यालय, प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोाित विभिन्न शिविरों में भाग लेता है।

10.7 निदेशकगण - वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निगम के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

निदेशक का नाम	कार्यावधि	
	से	तक
श्री हर्ष भाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	14.09.2010	कार्यरत
श्री ए.सी. पाढ़ी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, (अतिरिक्त प्रभार)	18.03.2010	13.08.2010
श्री समीर कुमार मुखर्जी, सीएमडी, आर्टिफिशियल लिंब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन	16.05.2008	17.11.2010

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान श्री पी के सिन्हा, अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व श्री अरविन्द प्रसाद संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, निगम के निदेशक नहीं रहे।

10.8 निदेशक मंडल की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान हुई निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत है:

निदेशक का नाम	कार्यावधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या (2010-11 में)	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री हर्ष भाल	3	3
श्री प्रदीप कुमार सिन्हा	5	- #
श्री राम निवास यादव	5	2
श्री अनंत चरण पाढ़ी	2	2
डा.(श्रीमती) विनिता शर्मा	5	4
श्री दीपक गुप्ता	5	3
डा. अरविंद प्रसाद	5	1*
श्री समीर कुमार मुखर्जी	3	2

\# श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, ए.एस एण्ड एफ.ए.,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि निगम की चार बैठकों में उपस्थित था।

* डा. अरबिन्द प्रसाद जेएस (डीडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि निगम की दो बैठकों में उपस्थित था।

10.9 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निगम ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जिनका सार निम्नवत् है:

i) पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन

निगम ने 11 फरवरी, 2011 को हुई कंपनी के निदेशक मंडल की 64वीं बैठक में निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया।

ii) ऋण सीमा का बढ़ाया जाना

मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ऋण सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया।

iii) कार्यकौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के लिए वजीफे को बढ़ाना

कार्यकौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण के अधीन प्रशिक्षुओं का वजीफा 500 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही, प्रशिक्षण की अवधि लचीली बना दी गई है और न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि की शर्त को खत्म कर दिया गया है। ये परिवर्तन योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए गए हैं।

iv) स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का एससीएज को प्रत्यायोजन-परियोजनाओं की वित्तीय सीमा का बढ़ाया जाना

निगम का विश्वास है कि स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों (एससीएज) को और प्राधिकार का प्रत्यायोजन किया ाए। 3 लाख रुपये (पहले 1.50 लाख रुपये) तक की परियोजनाओं के मामले में ऋण स्वीकृत करने के प्राधिकार को बढ़ा दिया गया है।

v) स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों (एससीएज) द्वारा सामूहिक योजना

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एससीएज ने एक नई योजना अर्थात् सामूहिक योजना आरंभ की थी जिसके अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं हेतु एससीएज को अधिक ऋण राशि को तीव्रता से ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

vi) निधियों का आनुमानिक आवंटन

निगम का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के प्रति दायित्व है। लक्षित समूह के लिए सरकारी निधियों के संतुलित वितरण को सुनिश्चित करने के वास्ते निगम ने निधियों के अनुमानिक आवंटन की योजना तैयार की है।

vii) अच्छी वसूली के लिए प्रोत्साहन योजना

बकाया देय राशियों की वसूली को बढ़ावा देने के लिए निगम ने एसीएज से अच्छी वसूली करने के लिए प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एससीएज से प्राप्त 0.5 प्रतिशत भुगतान प्रोत्साहन के रूप में एससीए को पुनः दे दिया जाता है। बशर्ते इस प्रकार का एससीए योजना की अन्य शर्तें पूरी करता हो।

viii) शिक्षा ऋण योजना का संशोधन

निगम ने शिक्षा ऋण योजना में संशोधन किया है ताकि इसे जहाँ तक संभव हो सके भारतीय बैंकर्स संघ की शिक्षा ऋण योजना के अनुरूप बनाया जा सके। इससे शिक्षा ऋण लेने वाले विकलांग व्यक्ति को प्रतिबंध अवधि के दौरान ब्याज में राहत मिल सकेगी बशर्ते कि उसके अभिभावकों की आय 4 लाख रुपये प्रति वर्ष की निर्धारित सीमा के भीतर हो।

11. सूचना का अधिकार, 2005 का क्रियान्वयन

निगम अपने कार्यकरण में परदर्शिता में विश्वास रखता है। निगम का कंपनी सचिव इस समय सीपीआईओ के रूप में पदामिहित है। आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए सीपीआईओ की अनुपस्थिति में वैकल्पिक पीआईओज नामित किए गए हैं। निगम आरटीआई आवेदन से निपटते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाता है और जब कभी भी कोई आवेदन शुल्क या किन्हीं अन्य कमियों के साथ प्राप्त होते हैं तो निगम आवेदन को सही प्रकार से देने के लिए उन्हें शिक्षित करता है ताकि उन्हें सूचना दी जा सके। साथ ही प्राप्त नामंजूर प्रत्युक्तिरत अपील वाले आवेदनों का विवरण निगम की वेबसाइट www.nhfdh.nic.in पर अद्यतन किया जाता है जो डीओपीटी ओएम नंबर 4/10/2011-आईआर दिनांक 18.5.2011 के अनुसरण में है।

निगम त्रैमासिक आधार पर सी.आईसी वेबसाइट www/cic/gov.in पर विनिर्दिष्ट रूप में आरटीआई आवेदनों से संबंधित सूचना भी अपलोड करता है।

2010-11 के दौरान प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार से है:

क)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	-38
ख)	प्रत्युतिरत/निपटाए गए आवेदनों की संख्या	-38 (इसमें अप्रैल 2011 में दो का जवाब दिया गया था)
ग)	मामलों की संख्या जिनमें सूचना नहीं दी गई	-शून्य
घ)	अपीलों की संख्या	-शून्य
च)	निर्णीत मामलों की संख्या	-शून्य
छ)	सीपीआईओ पर दण्ड/प्राप्त हुई निन्दा	-शून्य

11.1 आरटीआई अधिनियम, 2005 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निगम की पहल

निगम अपनी वेबसाइट को विषयवस्तुगत सूचना की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बनाना चाहता है ताकि आम जनता को सूचना प्रदान की जा सके। हाल में निगम ने अपनी योजनाओं पर प्रश्न पूछने की पहल की है ताकि पर्याप्त सूचना के साथ उसका जवाब दिया जा सके। कोई भी सूचना मांगने के लिए एनएचएफडीसी की वेबसाइट पर निम्नलिखित आईकोन पर क्लिक करना होगा।

कृपया प्रश्न पूछिए

इस प्रक्रिया में निगम प्रमुख मुद्दों, आम जनता की सूचना आवश्यकताओं का पता लगाकर अपनी वेबसाइट पर संगत सूचना उपलब्ध करानी है।

12. आभार

आपके निदेशकगण सतत् मार्गदर्शन और सलाह के लिए विभिन्न सरकारी विभागों विशेषतया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा डीपीई, कंपनी के लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक के आभारी हैं।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह0

(हर्ष भाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

दिनांक: 26 अगस्त, 2011

स्थान: फरीदाबाद

संलग्नक - I

निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियां

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है।)	अण्डमान एवं निकोबार आइलैंड इन्टीग्रेटिड डैवलपमेंट कार्पोरेशन लि., विकास भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 180, पोर्ट ब्लेयर, ए. एण्ड एन.- 744 001
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विकलांग को-ऑपरेटिव कॉर्पोरेशन बी.आर.के.आर. भवन हैदराबाद -500 063
3.	अरुणाचल प्रदेश (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है।)	अरुणाचल प्रदेश कोआपरेटिव एपेक्स बैंकीकरण पीओ एण्ड टी नाहरलागुन "डी" सैक्टर, जिलाः पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश - 791110.
4.	असम	असम कॉआपरेटिव अपेक्स बैंक लि. पान बाजार, गुवाहाटी -781001
5.	बिहार (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है।)	बिहार राज्य पिछड़ा जाति वित्त एवं विकास निगम चौथा तल, सोन भवन, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना - 800001 (बिहार)
6.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास समिति निगम टाउन हाल बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर-17-सी, चंडीगढ़-160017
7.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवम् विकास निगम, समाज कल्याण विभाग का उपक्रम पुराना डीआरडीए भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)
8.	दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव (सामान्य ऋण करार अभी किया जाना है।)	दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जातियों अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, दूसरी मंजिल, दाएं पर, लोक निर्माण विभाग कॉम्पलेक्स, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा-396 230
9.	दिल्ली	दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक व विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लि., आंबेडकर भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110 085
10.	गोआ	गोआ राज्य अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम चौथा तल, पट्टू सेन्टर, कादम्बा बस स्टैंड के निकट, पणजी-403001, गोआ

निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियां

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी
11.	गुजरात	गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि., ब्लॉक नं. 11, दूसरा तल, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर-382 010
12.	हरियाणा	हरियाणा पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर जनजाति कल्याण निगम एस.सी.ओ. 813-814 सैक्टर-22ए, चंडीगढ़-160 022
13.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ब्लॉक नं. 38, प्रथम तल, एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसमपटी, शिमला-171 009
14.	जम्मू कश्मीर	जम्मू कश्मीर राज्य महिला विकास निगम लि., होटल रिगादून के पीछे, डल गेट ब्लॉक-ए, पुराना सचिवालय, श्रीनगर, कश्मीर-190 001 (मई से अक्तूबर तक) 615-ए, गांधी नगर, जम्मू-180012 (नवंबर से अप्रैल तक)
		जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम एक्सचेंज रोड, नजदीक रैड क्रॉस, धर्मनाथ ट्रस्ट कौंसिल, श्रीनगर, कश्मीर-190 001 (मई से अक्टूबर तक)
		रोमेश मार्केट, शास्त्रीनगर, जम्मू-180 004 (नवम्बर से अप्रैल तक)
15.	झारखण्ड	झारखण्ड आदिवासी विकास निगम, कलिहारी रोड, मोरावादी, रांची - 834 004
16.	कर्नाटक	कर्नाटक स्टेट वूमेन डेवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन लि., 6वां तल, जयानगर शॉपिंग कॉम्पलैक्स, जयानगर, बैंगलार-560011
17.	केरल	केरल स्टेट हैन्डीकैप्ड परसन्स वेलफेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड, टी.सी. 17/230 (1) जुवेनाइल होम कम्पाउंड, पूजापूरा, तिरूवनन्तपुरम - 695 012
		केरल स्टेट वूमेन्स डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन लि. बसन्त- टी.सी. 20/2170 नजदीक मनमोहन बंगला, कोडिसर, तिरूवनन्तपुरम - 695 012
18.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप खादी एवं ग्रामोद्याग बोर्ड कावराटी - 682 555, लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र

निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियां

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी
19.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, प्रथम तल, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462 002 (मध्य प्रदेश)
		मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल - 462 002 (मध्य प्रदेश)
		मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, 35, श्यामला हिल्स, राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स भोपाल - 462 002 (मध्य प्रदेश)
		मध्य प्रदेश विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, 1250, तुलसी नगर, भोपाल - 462 002 (मध्य प्रदेश)
20.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि. कमरा सं. 74, महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड बिल्डिग, भूमि तल बांद्रा कुरला, काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र-400 051
21.	मणिपुर (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है।)	मणिपुर स्टेट वूमैन्स डेवैल्पमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड डायरेक्टर बिल्डिग, नजदीक द्वितीय एम.आर. गेट, समाज कल्याण विभाग भवन, इम्फाल-795 001 मणिपुर
22.	मेघालय	मेघालय कॉआपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, महात्मा गांधी मार्ग, शिलांग-793 001
23.	मिज़ोरम	मिजोरम ग्रामीण बैंक, हैड ऑफिस बी-5, बाबू टोला, जारक्वाट, ऐजवल, मिजोरम-796 001
24.	नागालैंड	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, नागालैंड सिविल सचिवालय, नागालैंड सरकार कोहिमा 797 001
25.	उड़ीसा	महिला विकास समवाया निगम, ब्लॉक-ए-1, भूमितल, तोशालो प्लाजा, सत्यनगर, भुवनेश्वर-751 007
26.	पांडिचेरी	पांडिचरी कार्पोरेशन फॉर डेवैल्पमेन्ट ऑफ वूमैन एण्ड हैंडीकैप्ड पर्सन्स लि. नं. 30, दूसरा क्रास, पोननगर, रेडियार प्लायम, पूडूचेरी-605 010
27.	पंजाब	पंजाब अ.जा. भूमि वित्त एवं विकास निगम एस.सी.ओ.नं. 101/103, सैक्टर-17 सी, चंडीगढ-160010
28.	राजस्थान	राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम नेहरू सहकार भवन, सेन्ट्रल ब्लॉक, तीसरा तल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-382001
29.	सिक्किम	सिक्किम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि., सोनम तरोरिंग मार्ग, गैंगटोक, सिक्किम-737 101

निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियां

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी
30.	त्रिपुरा	त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लि. पीओ. लेक छाओमुहानी, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा - 799 101
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कॉआपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं. 4, (पुराना नं. 233), नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, चेन्नई-600 001 (तमिलनाडु)
32.	उत्तर प्रदेश (एससीए राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है)	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 14/88, सिविल लाईन, कानपुर-2008 001
33.	उत्तराखण्ड	उत्तरांचल बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम लि. भवन सं. 161, नेहरू नगर (पुरानी नेहरू कॉलोनी) हरिद्वार रोड, देहरादून- 248 001
34.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल महिला विकास संस्थान एल, ए-ब्लॉक, सैक्टर-3, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700 091 (प. बंगाल)

संलग्नक -II

राज्यवार ऋण वितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1.	तमिलनाडु	3.70	1553	7.96	3239
2.	उड़ीसा	0.05	24	1.76	365
3.	महाराष्ट्र	3.79	363	4.09	310
4.	हरियाणा	6.01	865	1.93	292
5.	पश्चिम बंगाल	0.06	19	1.47	272
6.	राजस्थान	1.42	230	2.01	239
7.	हिमाचल प्रदेश	1.34	126	2.33	208
8.	कर्नाटक	0.50	100	1.00	200
9.	मिजोरम	0.00	0	0.50	178
10.	छत्तीसगढ़	1.46	144	2.33	152
11.	दिल्ली	0.29	62	0.40	144
12.	जम्मू-कश्मीर	0.42	43	0.99	105
13.	असम	0.00	0	0.91	100
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.86	88
15.	पंजाब	0.53	85	0.73	80
16.	झारखण्ड	0.22	11	0.97	78
17.	गुजरात	5.79	1511	0.30	76
18.	पांडिचेरी	1.05	189	0.39	74
19.	उत्तरांचल	0.02	2	0.35	56
20.	चंडीगढ़	0.03	15	0.11	48
21.	लक्षद्वीप	0.04	4	0.19	22
22.	मेघालय	0.00	0	0.10	20
23.	गोवा	0.00	0	0.10	8
24.	सिक्किम	0.00	0	0.06	2
25.	आन्ध्र प्रदेश	1.38	404	0.00	0
26.	बिहार	0.05	20	0.00	0
27.	केरल	2.61	258	0.00	0
28.	उत्तर प्रदेश	0.03	4	0.00	0
	कुल	30.80	6032	31.84	6356

संलग्नक -III

सहमति ज्ञापन 2010-11 लक्ष्यों की प्राप्ति

क्रमांक	ब्यौरा	इकाई	भरांक	लक्ष्य (उत्तम)	उपलब्धि
1.	ऋण स्वीकृति	रुपये करोड़	8	82.50	32.23
2.	संवितरण				
क)	आवधिक ऋण	रुपये करोड़	3	70.31	28.14
ख)	शिक्षा ऋण/प्रशिक्षण	रुपये करोड़	2	1.56	0.10
ग)	सूक्ष्म ऋण योजना	रुपये करोड़	3	3.13	3.60
घ)	कुल (क+ख+ग)	रुपये करोड़	8	75.00	31.84
3.	एनएचएफडीसी बकाया देय राशियों की वसूली	रुपये करोड़	10	11.80	15.22
4.	सकल लाभ	रुपये करोड़	8	0.000	1.7472
5.	ऋण से आय	रुपये करोड़	8	3.4298	3.1621
6.	पीबीआईडीटी (रुपये करोड़) कुल रोजगार	अनुपात	8	0	0.05517
7.	एनएचएफडीसी लाभार्थियों का क्षेत्र निरीक्षण	संख्या	6	180	199
8.	जिला स्तरीय लाभार्थियों हेतु प्रदर्शनियों/मेले	संख्या	5	14	14
9.	एससीए के कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण	कार्य दिवस	5	67	70
10.	एनएचएफडीसी के कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण	कार्य दिवस	7	34	36
11.	एनएचएफडीसी कर्मचारी जिन गैर सरकारी सगठनों का निरीक्षण करेंगे	संख्या	5	25	28
12.	कार्यकौशल विकास संस्थाओं के साथ सम्पर्क	संख्या	2	3	5
13.	जागरूकता शिविर	संख्या	5	20	22
14.	क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन	संख्या	5	5	5
15.	1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2010 तक एनएचएफडीसी ऋण का उपयोग (कैलेण्डर वर्ष के दौरान प्रदान ऋण की तुलना में)	प्रतिशत	2	67	73.95
16.	गत वर्षों के दौरान प्रदान किए गए एनएचएफडीसी ऋण के शेष का उपयोग	रुपये करोड़	3	7.85	13.25
17.	विकलांग व्यक्तियों को उद्यमिता/विक्रय/ कार्यकौशल विकास प्रशिक्षण	संख्या	5	560	250

संलग्नक -IV

2010-11 के दौरान आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम/कार्यकौशल विकास प्रशिक्षण

राज्य	प्रशिक्षक संस्था का नाम	कार्यकौशल विकास कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षुओं की संख्या	उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की संख्या
हरियाणा	एटीडीसी	सिलाई मशीन प्रचालक कोर्स	25	1
	हार्डीकोन	मोबाइल फोन की मरम्मत सर्विसिंग	20	1
कर्नाटक	एईपीसी	उन्नत सिलाई मशीन प्रचालक कोर्स में प्रशिक्षण	40	2
पंजाब	एनएसआईसी	(i) कम्प्यूटरीकृत मोबाइल मरम्मत और अनुरक्षण (ii) परिधान बनवाई (कटाई, सिलाई और कशीदाकारी) (iii) कम्प्यूटरीकृत लेखाकरण और कार्यालयी प्रक्रिया	60	3
		कुल	**145**	**7**

संलग्नक -V

राष्ट्रीय आवंटन की तुलना में ऋण संवितरण में एससीएज का कार्यनिष्पादन/योगदान (31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	एससीएज/राज्य का नाम	आनुमानिक आवंटन राशि	संवितरण (राशि)	आनुमानिक आवंटन का लक्ष्य प्राप्त करने का कारण
1.	ए.पी. विकलांगुला कोआपरेटिव कार्पोरेशन, **आन्ध्र प्रदेश** (एपीवीसीसी)	467.31	**शून्य**	i) अतिदेय की अदायगी न किया जाना ii) एपीवीसीसी द्वारा प्रस्तावों का प्रस्तुत न किया जाना
2.	अण्डमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड इंटीग्रटिव डेव. कार्पोरेशन, अण्डमान एण्ड निकोबार (एएनआईआईडीसी)	20.00	**शून्य**	सामान्य ऋण करार (जीएलए) का एएनआईडीसी द्वारा निष्पादित न किया जाना
3.	असम कोआपरेटिव अपैक्स बैंक, **असम** (एसीएबी)	181.55	90.78	i) बकाया देय राशियों की अदायगी न किया जाना ii) एसीएबी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होना
4.	अरुणाचल प्रदेश कोआपरेटिव अपैक्स बैंक, **अरुणाचल प्रदेश** (एपीसीएबी)	20.00	**शून्य**	एपीसीएबी द्वारा जीएलए और बीजीजी का निष्पादन न किया जाना
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, **बिहार** (बीएसबीसीएफडीसी)	646.24	**शून्य**	जीएलए का बीएसबीसीएफडीसी द्वारा निष्पादन किया जाना
6.	चंडीगढ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटड, **चंडीगढ** (सीएनवीएवीएन)	20.00	11.41	सीसीडब्ल्यूडीसी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
7.	छत्तीसगढ निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ** (सीएनवीएवीएन)	161.10	232.65	
8.	दिल्ली अनु.जा./अनु.जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि.,**दिल्ली** (डीएसएफडीसी)	80.76	40.38	एससीए से प्रस्ताव प्राप्त नही हुए
9.	दादर और नगर हवेली, दमन और दीव अनु.जा./ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम लि., **दादर और नगर हवेली, दमन और दीव** (डीएनएचडीडीएससीएसटीओबी सीएमएफडीसी)	40.00	**शून्य**	जीएलए का डीएनएचडीडीएससीएसटी ओबीसीएमएफडीसी द्वारा निष्पादन न किया जाना

क्रमांक	एससीएज/राज्य का नाम	आनुमानिक आवंटन राशि	संवितरण (राशि)	आनुमानिक आवंटन का लक्ष्य प्राप्त करने का कारण
10.	गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि., **गोवा** (जीएसएससीओबीसीएफडीसी)	20.00	10.00	जीएसएससीओबीसीएफडीसी से प्रस्ताव प्राप्त नही हुए
11.	गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **गुजरात** (सीएमएफडीसी)	366.05	29.75	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
12.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम, **हरियाणा**	546.83	192.81	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई
13.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम, **हिमाचल प्रदेश** (एचपीएमएफडीसी)	164.97	232.77	
14.	जम्मू और कश्मीर राज्य महिला विकास निगम, **जम्मू और कश्मीर** (जेकेडब्ल्यूसी)	14.44	34.44	
15.	जम्मू और कश्मीर अनु.जा., अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि. **जम्मू और कश्मीर** (जेकेएससीएसटीओबीसीडीसी)	89.18	64.30	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
16.	झारखण्ड जनजाति विकास निगम, **झारखण्ड** (जेटीडीसी)	153.51	96.57	i) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई ii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया। iii) जेटीडीसी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए

क्रमांक	एससीएज/राज्य का नाम	आनुमानिक आवंटन राशि	संवितरण (राशि)	आनुमानिक आवंटन का लक्ष्य प्राप्त करने का कारण
17.	कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम लि., **कर्नाटक** (केएसडब्ल्यूडीसी)	322.04	100.00	i) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई ii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया। iii) केएसडब्ल्यूडीसी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
18.	केरल राज्य विकलांग व्यक्ति कल्याण निगम लि., **केरल** (केएसएचपीडब्ल्यूसी)	170.36	**शून्य**	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
19.	लक्षद्वीप खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड, **लक्षद्वीप** (एलकेवीआईबी)	20.00	18.55	एलकेवीआईबी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
20.	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश** (एमपीपीवीएवीएवीएन)	39.35	71.28	
21.	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश** (एमपीआरएसएजेवीएवीएन)	414.13	**शून्य**	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
22.	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश** (एमपीएवीवीएन)	17.36	**शून्य**	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
23.	मध्य प्रदेश विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, **मध्य प्रदेश** (एमपीएचढब्लूडीएस)	11.38	14.94	

क्रमांक	एससीएज/राज्य का नाम	आनुमानिक आवंटन राशि	संवितरण (राशि)	आनुमानिक आवंटन का लक्ष्य प्राप्त करने का कारण
24.	महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त एवं विकास निगम, **महाराष्ट्र** (एमएसएचएफडीसी)	537.36	409.36	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
25.	मेघालय को-आपरेटिव एपेक्स बैंक लि., **मेघालय** (एमसीएबी)	20.00	10.00	एमसीएबी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
26.	मणिपुर राज्य महिला विकास निगम, **मणिपुर** (एमएसडब्ल्यूडीसी)	20.00	**शून्य**	जीएलए और बीजीजी का एमएसडब्ल्यूडीसी द्वारा निष्पादन न किया जाना
27.	मिजोरम ग्रामीण बैंक, **मिजोरम** (एमआरबी)	50.00	50.00	
28.	डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्कियोरटी एण्ड वेलफेयर, **नागालैण्ड** (डीएसएसडब्ल्यू)	20.00	**शून्य**	i) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई हुई ii) डीएसएसडब्ल्यू से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
29.	महिला विकास समबाया निगम, **उड़ीसा** (एमवीएसएन)	349.66	176.45	एमवीएसएन से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
30.	महिला और विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए पोंडिचेरी निगम लि., **पोंडिचेरी** (पीसीडीडब्ल्यूएचपी)	72.97	39.23	मार्च 11 को अंतिम सप्ताह में 1.27 करोड़ रु. का प्रस्ताव प्राप्त हुआ तथा मई 2011 को राशि दी गई
31.	पंजाब अनु.जा. भू वित्त और विकास निगम, **पंजाब** (पीएससीएलएफडीसी)	145.34	72.67	पीएससीएलएफडीसी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
32.	राजस्थान अनु.जा., अनु.जनजाति वित्त एवं विकास कोपरेटिव निगम, **राजस्थान** (आरएससीएसटीएफडीसीसी)	483.41	201.20	आरएससीएसटीएफडीसीसी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
33.	सिक्किम अनु.जा. जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि., **सिक्किम** (एसएससीटीओबीसीडीसी)	20.00	6.30	i) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई ii) एसएससीटीओबीसीडीसी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए

क्रमांक	एससीएज/राज्य का नाम	आनुमानिक आवंटन राशि	संवितरण (राशि)	आनुमानिक आवंटन का लक्ष्य प्राप्त करने का कारण
34.	त्रिपुरा अनुसूचित जाति कोपरेटिव विकास निगम लि., **त्रिपुरा** (टीएससीसीडीसी)	20.18	**शून्य**	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
35.	तमिलनाडु राज्य अपेक्स कोपरेटिव बैंक लि., **तमिलनाडु** (टीएनएसएसीबीएल)	562.33	796.14	
36.	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, **उत्तर प्रदेश** (यूपीएफसी)	1182.30	**शून्य**	निष्क्रिय एससीए
37.	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तरांचल** (यूबीवीएवीएन)	66.68	34.79	यूबीवीएवीएन से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
38.	पश्चिम बंगाल वूमेन डेवलपमेंट अण्डरटेकिंग, **पश्चिम बंगाल** (डब्ल्यूबीडब्ल्यूडीयू)	632.40	147.03	i) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई ii) डब्ल्यूबीडब्ल्यूडीयू से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
	कुल	**8139.19**	**3183.80**	

संलग्नक - VI

31.3.2011 की स्थिति के अनुसार विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियां			1.4.2010 से 31.3.2011 तक नियुक्तियों की संख्या				रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
क	11		1			1												
ख	2	-	-	-	*-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग	14	-	-	**2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
घ	5	-	1	-	-	***1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	32		2	2		2		1			1							

नोट: 1) दृ.वि. - दृष्टि विकलांग (अन्धे व कमजोर नजर वाला व्यक्ति) को दर्शाता है।
2) श्र.वि - श्रवण विकलांग (कानों से कम सुनने वाला व्यक्ति) को दर्शाता है।
3) अ.वि. - अस्थि विकलांग (चलन नि:शक्तता व गंभीर रूप से सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त) को दर्शाता है।

* दृ.वि की रिक्ति जब भी होगी भर ली जायेंगी।

** अ.वि. तथा अ.पि. श्रेणी के व्यक्ति की नियुक्ति अ.पि.श्रे. में की गई है।

***श्र.वि. श्रेण्ी हेतु आरक्षित पद पर श्रवण विकलांग की नियुक्ति कर ली गई है।

संलग्नक - VII

31.3..2011 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी श्रेणी का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या (1.4.2010 से 31.3.2011)									
					सीधी भर्ती		पदोन्नति द्वारा			दूसरे तरीके से				
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग को	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग को	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.जन.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
श्रेणी क	11	02	-	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणी ख	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणी ग	14	01	-	04	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-
श्रेणी घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	05	01		01										
श्रेणी घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	32	04	-	.08	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी :

1) अ.जा. - अनुसूचित जाति
2) अ.ज.जा. - अनुसूचित जनजाति
3) अ.पि.श्रे. - अन्य पिछड़ी श्रेणी

संलग्नक -VIII

सांविधिक लेखापरीक्षकों की वित्तीय वर्ष 2010-11 की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्रम सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का पैरा - 4.6.1 से 4.6.9	प्रबंधन का उत्तर
1.	पैरा - 4.6.1 निगम अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनकी व्यवस्था बही खातों में करने हेतु विवेकपूर्ण नीति बना चुका है। यद्यपि यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के मुताबिक विवेक पूर्ण नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में अशोध्य व संदिग्ध ऋण के लिए रुपये 9,79,432 (गत वर्ष रु. 13,12,111) का प्रावधान किया गया है।	निगम आर्थिक व सामाजिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रहा है। यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन शीर्ष कार्पोरेशन भी है जो अपने-अपने संबंधित लक्षित समूह के लिए कार्य करते हैं। इन सभी कारपोरेशनों ने अनर्जक परिसम्पत्यिों की पहचान के लिए अपनी-अपनी विवेकपूर्ण नीतियां बनाई हुई हैं। आप के निगम ने अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान करने हेतु अपने संबद्ध कार्पोरेशनों के संगत कारको व नीतियों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण नीति बनाई है। चूंकि निगम भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत नहीं है अत: इस बैंक के विवेकसम्मत मानदंड इस निगम हेतु अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस निगम की प्राथमिकता बैंककारी कंपनियों से भिन्न है इसलिए अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान हेतु बैंककारी कंपनी पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक के सख्त मानदंडों को निगम पर लागू करना तर्क संगत नहीं होगा।
2.	पैरा - 4.6.2 चालू वर्ष में निगम रुपये 1,02,195 को आय के तौर पर पहचान कर चुका है। यद्यपि यह लेखा ब्याज से संबंधित हैं जो अनर्जक परिसंपत्तियां घोषित हो चुकी हैं यह हमारी राय में ठीक नहीं है, हालांकि पूरी राशि का प्रावधान किया जा चुका है।	निर्धारित नीति के तहत निगम ने संदिग्ध ऋणों के तहत प्रावधान किया है। (वार्षिक लेखाओं का भाग अनुसूची 'थ' में यथासमाविष्ट 'लेखा नीति' के पैरा-6 देखें) इस संबंध में प्रकटन टिप्पणी-12 अनुसूची 'थ' का भी संदर्भ लिया जा सकता है। पैरा नं.4 लेखा नीति (अनुसूची 'थ') ऋण व निवेश पर ब्याज उपचय आधार पर माना जाता है।

क्रम सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का पैरा - 4.6.1 से 4.6.9	प्रबंधन का उत्तर
		अत: सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित रुपये 1,02,195/- का अभिज्ञान कर लिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 की ब्याज आय के रूप में इसे लेखा के उपचय आधार पर खाते में डाल दिया गया है चाहे वह राशि प्राप्त हुई/प्राप्त न हुई।
3.	**पैरा - 4.6.3** सभी एसजीएज व गैर सरकारी संगठनों का बकाया ऋण का संचलन किया गया है और जहाँ अंतर है वे समाधान के अन्तर्गत हैं। इसे तत्काल किया जाए और अंतर का समाधान किया जाए	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ नोट की जाती हैं और निगम इस बारे में उपयुक्त कदम उठाएगा।
4.	**पैरा - 4.6.4** ऋण रजिस्टर व आम बही खातों का लम्बे समय से मिलान नहीं किया है, अत: आय तथा व्यय खाते में ब्याज के आय के आंकड़े व इसी प्रकार तुलन पत्र में ऋण व अग्रिम के आंकड़े (सिर्फ ब्याज संचय का भाग) हो सकता है, ठीक न हो। चूंकि काफी वर्षों के बाद भी यह मामला सुलझा नहीं है। हमारी राय है कि अंतर के वास्ते बहीखाते में उपयुक्त प्रावधान किया जाए।	लेखापरीक्षकों टिप्पणियाँ नोट की जाती है। निगम ऋण खातों और सामान्य खातों के समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।
5.	**पैरा - 4.6.5** न तो दंड ब्याज और न ही निर्णीत हर्जाना दोषी एससीएज से वसूल किया जा रहा है। सूचना के अनुसार यह फैसला भारत सरकार के पास लम्बित है जब कि बोर्ड का एक संकल्प पूर्व में 18.12.2003 को पारित किया जा चुका है।	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी स्वत: स्पष्ट है।
6.	**पैरा - 4.6.6** आय कर अधिनियम 1961 की धारी 10 (23) (ग)(IV)के तहत निगम आयकर छूट प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दायर कर चुका है लेकिन छूट प्रमाण पत्र अभी आना बाकी है।	निगम ने एक व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को इस मामले में मार्गदर्शन करने के लिए आयकर प्राधिकरण के साथ मामला उठाने व निगम के निमित छूट प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया है। नोट -इस संदर्भ में सूची 'थ' का संदर्भ लें।

क्रम सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का पैरा - 4.6.1 से 4.6.9	प्रबंधन का उत्तर
7.	**पैरा - 4.6.7** निगम के लेखे अभी भी हस्तनिर्मित हैं तो भी समान्तर रूप से "टैली" साफ्टवेयर द्वारा भी प्रचलित है हमारे विचार से यह काम की पुनरावृत्ति है व इससे काफी समय व मेहनत बेकार जाती है। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह पुनरावृत्ति जारी है। हमारी राय है कि अंतिम तिथि का फैसला किया जाए और सभी लेखे टैली साफ्टवेयर पर पर डाल दिए जाएं।	शुरू से ही निगम की अपनी लेखा पुस्तिका हस्तनिर्मित रही है। कम्प्यूटर्स द्वारा लेखा तैयारी का लाभ लेने के लिए निगम ने वित्त वर्ष 2007-08 में टैली साफ्टवेयर संस्थापित किया। लेखा विभाग के कर्मचारियों को टैली साफ्टवेयर प्रचालित करने का शुरूआती प्रशिक्षण दिया गया। अतः सावधानी के तौर पर यह उचित समझा गया कि लेखा टैली के साथ-साथ मैनुअल रूप से भी जारी रखा जाए। बहरहाल लेखा विभाग में कुछ बदलाव हुए हैं (नए कर्मचारी आए हैं और पुराने कर्मचारी चले गए हैं) जिससे कम्प्यूटरीकृत लेखाकरण को अपनाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। निगम लेखाकरण को सुप्रवाही बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है तथा 1 अप्रैल, 2012 से केवल कम्प्यूटरीकृत लेखाकरण के माध्यम से बही खाते बनाएगा। इस बीच निगम टैलीलेखाकरण साफ्टवेयर के प्रभावी इस्तेमाल के लिए संबद्ध कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देगा।
8.	**पैरा - 4.6.8** ब्याज की गणना अभी भी हाथों से की जा रही है और हमारा सुझाव है कि दक्षता और परिशुद्धता हासिल करने हेतु ग्राहक की आवश्यकतानुसार उपयुक्त साफ्टवेयर बनाया जाए/समयबद्ध कार्यक्रमानुसार खरीदा जाए।	निगम बकाया ऋण और उस पर ब्याज की गणना के लिए माइक्रोसाफ्ट एक्सेल अनुप्रयोग साफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है। इस साफ्टवेयर का इस्तेमाल करके तिमाही मांग तैयार की जा रही है। निगम ने अपने ऋण खाता प्रणाली के स्वचालन के लिए साफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म मैसर्स प्लेनट ई-काम सोलुशन्स प्राइवेट लि. को नियुक्त किया है जो निगम के ऋण खातों और अन्य एमआईएस आवश्यकताओं की देखरेख करेगी। यह कार्य विकास स्तर पर है।

क्रम सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का पैरा - 4.6.1 से 4.6.9	प्रबंधन का उत्तर
9.	**पैरा - 4.6.9** रिपोर्टिंग और आंतरिक लेखापरीक्षा के समावेशन को मजबूत करने की जरूरत है। संगठन के स्वरूप और आकार को देखते हुए, अधिक व्यापक और नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता है।	निगम की आंतरिक लेखापरीक्षा का काम एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को सौंपा गया था। लेखापरीक्षा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ निगम के सभी प्रकार्यात्मक क्षेत्र शामिल थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और आंतरिक लेखापरीक्षा को ज्यादा व्यापक और नियमित बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन, के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुरूप, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन** के वित्तीय प्रतिवेदन वितरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधकों की है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। जो कि व्यवसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखाकंन और प्रत्याभूति मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के रूप में होने चाहिए। इसको दिनांक 23 अगस्त 2011 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार पूरा कर लेने का संकेत किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के तहत **नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन** के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा मैंने स्वतंत्र रूप से की है। कार्य सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों को देखे बिना किया गया है और यह मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों व कंपनी कर्मचारियों की गई पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा रिकार्ड की जाँच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी की जाए या जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) में अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की पूर्ति करता हो।

कृते भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
ह0
(नैना ए. कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिय लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-II नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 19.9.2011

दीपक विरमानी,एफसीए
अभिजीत रॉय, एफसीए,एलएलबी
अरुण कुट्टी, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)
नितिन राजपूत, एसीए

विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
709-710, अंसल चैम्बर-II
6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066
टेली: 261955564, 26193870 फैक्स: 26187790
ई मेल: vrkca@airtelmail.in, Website :http://www.vrkca.com

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन के सदस्यों हेतु लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन के 31 मार्च 2011 तक के संलग्न तुलन पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के आय-व्यय और नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है जिस पर हमने इस रिपोर्ट के संदर्भाधीन हस्ताक्षर किए हैं। ये वित्तीय विवरण निगम प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा योजना और निष्पादन इस प्रकार करें ताकि वित्तीय विवरणों के बारे में तात्विक गलत बयानी से मुक्त होने का उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटन के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षण के आधार पर जांच की जाती है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों एवं आकलनों के साथ-साथ समस्त वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4ए) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) के संबंध में जारी आदेश, 2003 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है क्योंकि उक्त आदेश इस निगम के लिए लागू नहीं होता क्योंकि यह उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत है।

4. हम रिपोर्ट देते हैं कि :-

   4.1 हमने ऐसी सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी पूरी जानकारी एवं विश्वास के लिए हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   4.2 हमारी राय में निगम के लेखा बही खातों की जांच से पता लगता है कि निगम ने सभी लेखा खाते विधिवत् बना रहे हैं।

4.3 इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र आय-व्यय खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही खातों के अनुरूप हैं।

4.4 हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र आय-व्यय लेखा में तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखा मानकों का पालन करते हैं।

4.5 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

4.6 हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण निम्नानुसार के अध्यधीन हैं:

4.6.1 निगम ने अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनकी व्यवस्था बही खातों में करने हेतु विवेकपूर्ण नीति बनाई है। यद्यपि यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत नीतियों के मुताबिक नहीं है। चालू वित्त वर्ष में अशोध्य व संदिग्ध ऋण के लिए रुपये 9,79,432 (गत वर्ष रुपये 13,12,111) की व्यवस्था की गई है।

4.6.2 चालू वर्ष में निगम ने रुपये 1,02,195/- की आय के तौर पर पहचान की है यद्यपि यह लेखाओं पर ब्याज से संबंधित है जो अनर्जक परिसंपत्तियां घोषित हो चुकी है। यह हमारी राय में ठीक नहीं है तथापि इस राशि की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है।

4.6.3 सभी एसीएज व गैर सरकारी संगठनों का बकाया ऋण का परिचालन किया गया है और जहाँ अंतर है वे समाधान के अन्तर्गत हैं। इसे तत्काल किया जाए और अंतर का समाधान किया जाए।

4.6.4 ऋण रजिस्टर व आम बही खातों का लम्बे समय से मिलान नहीं किया है, अत: आय तथा व्यय खाते में ब्याा के आय के आंकड़े व इसी प्रकार तुलन पत्र में ऋण व अग्रिम के आंकड़े (सिर्फ ब्याज संचय का भाग) ठीक न हो। चूंकि काफी वर्षों के बाद भी यह मामला सुलझा नहीं है। हमारी राय है कि अंतर के वास्ते बहीखाते में उपयुक्त प्रावधान किया जाए।

4.6.5 न तो दंड ब्याज और न ही निर्णीत हर्जाना दोषी एससीएज से वसूल की जा रही है। सूचना के अनुसार यह फैसला भारत सरकार के पास लम्बित है जब कि बोर्ड का एक संकल्प पूर्व में 18.12.2003 को पारित किया जा चुका है।

4.6.6 आय कर अधिनियम 1961 की धारी 10 (23) (सी)(IV) के तहत निगम आयकर छूट प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दायर कर चुका है लेकिन छूट प्रमाण पत्र अभी आना बाकी है।

4.6.7 निगम के लेखे अभी भी हस्तनिर्मित हैं तो भी समान्तर रूप से "टैली" साफ्टवेयर द्वारा भी प्रचलित है हमारे विचार से यह काम की पुनरावृत्ति है व इससे काफी समय व मेहनत बेकार जाती है। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह पुनरावृत्ति जारी है। हमारी राय है कि अंतिम तिथि का फैसला किया जाए और सभी लेखे टैली साफ्टवेयर पर डाल दिए जाएं।

4.6.8 ब्याज की गणना अभी भी मैनुअली की जा रही है और हमारा सुझाव है कि दक्षता और परिशुद्धता हासिल करने हेतु ग्राहक की आवश्यकतानुसार उपयुक्त साफ्टवेयर बनाया जाए/समयबद्ध कार्यक्रमानुसार खरीदा जाए।

4.6.9 रिपोर्टिंग और आंतरिक लेखापरीक्षा के समावेशन को मजबूत करने की जरूरत है। संगठन के स्वरूप और आकार को देखते हुए, अधिक व्यापक और नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता है।

लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित हो तथा कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा वांछित सूचना अपेक्षित तरीके से दी गई है तथा भारत में सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार सत्य हो तथा उचित दृष्टिकोण प्रस्तत किया गया है।

i) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2011 की तारीख में संकार्य
ii) आय-व्यय लेखा के मामलों में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निगम का अधिशेष
iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामलों में उस तिथि को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह ।

कृते विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी
एफआरएन : 010514एन
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
ह०

तिथि : 23 अगस्त 2011
स्थान: नई दिल्ली

अरुण एस. कुट्टी एफसीए
(साझेदार)
एम.न. 084560

31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

	विवरण	अनुसूची	31 मार्च 2011 तक	31 मार्च 2010 तक
क.	**निधियों के स्रोत**			
	भेयर धारियों की निधि			
	भेयर पूंजी	क	1,61,80,10,000	1,16,80,10,000
	भेयर आवेदन राशि (लंबित आबंटन)		5,00,00,000	0
	आरक्षित निधि एवं अधिशेश	ख	27,58,26,539	26,02,97,243
	कुल		1,94,38,36,539	1,42,83,07,243
ख.	**निधियों का उपयोग**			
	अचल परिसंपत्तियां			
	सकल ब्लॉक	ग	1,28,01,696	1,27,44,964
	घटाएं : संचित मूल्य ह्रास		97,11,864	87,36,622
	निवल ब्लॉक		**30,89,832**	**40,08,342**
	आवधिक ऋण	च	1,39,15,09,462	1,36,01,75,174
	कुल		**1,39,15,09,462**	**1,36,01,75,174**
	चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
	चालू परिसंपत्तियां			
	(क) नकद एवं बैंक भेश	घ	58,06,22,243	7,14,03,524
	(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	ड.	82,50,980	14,93,707
	(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम	छ	2,49,16,310	2,16,38,887
			61,37,89,533	**9,45,36,118**
	घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान			
	(क) चालू देयताएं	ज	64,44,592	58,85,470
	(ख) सहायता अनुदान	ण	5,29,25,430	2,06,17,728
	(i) विकलांग व्यक्तियों हेतु छात्रवृत्ति के अंतर्गत पीडब्लूडी)			
	(ii) मैनुअल स्कैविन्जर्स (एसआरएमएस) के पुनर्वास की योजना के अन्तर्गत			
	(ग) प्रावधान	झ	51,82,266	39,09,193
			6,45,52,288	3,04,12,391
	निवल चालू परिसंपत्तियां		54,92,37,245	6,41,23,727
	कुल		**1,94,38,36,539**	**1,42,83,07,243**
	लेखा नीतियां एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	थ		

अनुसूची 'क' से 'थ' लेखाओं का अभिन्न अंग है

समसंख्यक तिथि की हमारी संलग्न परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में प्रमाणित

मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी

चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स की ओर से एवं उनके निमित्त

ह.

(अरूण एस. कुट्टी)

साझेदार

एम. नं. 84560

एफआरएन : 010514एन

दिनांक : 23 अगस्त, 2011

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह.

(हर्ष भाल)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह.

(दीपक गुप्ता)

निदेशक

ह.

(जी.एस. पंवार)

मुख्य प्रबंधक (वित्त)

ह.

(आर.के. मिश्र)

कंपनी सचिव

31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

	विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**आय**			
	ऋण पर ब्याज		3,16,20,793	2,95,73,673
	अन्य प्राप्तियां	ट	1,27,23,048	78,11,661
	कुल क		**4,43,43,841**	**3,73,85,334**
ख.	**व्यय**			
	कर्मचारियों हेतु भुगतान एवं प्रावधान	ठ	1,83,63,226	1,73,46,252
	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	ड	75,28,601	1,26,48,381
	मूल्यह्रास	ग	9,79,423	13,49,092
	पूर्व वर्ष के अधिक प्रावधान का पुररांसन		(1,84,310)	(2,58,46,262)
	अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		9,79,432	13,12,111
	कुल (ख)		2,76,66,372	68,09,574
ग.	**आय अधिशेष (क-ख)**		1,66,77,469	3,05,75,760
	(पूर्वावधि समायोजनों से पूर्व)			
	पूर्वावधि आय(+)/व्यय(-) निवल	ढ	(11,48,173)	(31,00,029)
	व्यय पर आय का अतिरेक/अधिकता (पूर्वावधि समायोजन के बाद) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	त	1,55,29,296	2,74,75,731
	कुल		**4,43,43,841**	**3,73,85,334**
	लेखा नीतियों एवं लेखा पर टिप्पणियों	थ		

मूल	11.47	24.39
कम	11.06	24.07

अनुसूची 'क' से 'थ' लेखा का अभिन्न अंग है
इसी तिथि की हमारी संलग्न परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में प्रमाणित
मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की ओर
से एवं उनके निमित्त

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह.
(हर्ष भाल)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह.
(दीपक गुप्ता)
निदेशक

ह.
(अरुण एस कुट्टी)
साझेदार
एम.एन. 84560
एफआरएन : 0105514एन
दिनांक 23 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

ह.
(जी.एस.पंवार)
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

ह.
(आर.के. मिश्र)
कंपनी सचिव

अनुसूची 'क'

(राशि रुपयों में)

शेयर पूँजी	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत		
1,000/- रुपये के 40,00,000 प्रति साम्य पूंजी शेयर	4,00,00,00,000	4,00,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त -		
1000/- रुपये के 16,18,010 के साम्य पूंजी शेयर (गत वर्ष 11,68,010 साम्य पंजी शेयर) प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त	1,61,80,10,000	1,16,80,10,000
शेयर आवेदन (लंबित आबंटन)	5,00,00,000	0
कुल	**1,66,80,10,000**	**1,16,80,10,000**

अनुसूची 'ख'

(राशि रुपयों में)

आरक्षित तथा अधिशेष	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
सामान्य आरक्षित निधि		
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	26,02,97,243	23,28,21,512
आय एवं व्यय खाते से अंतरित	1,55,29,296	2,74,75,731
कुल	**27,58,26,539**	**26,02,97,243**

अनुसूची 'ग'

(राशि रुपयों में)

अचल परिसंपत्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण		सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
क्र. सं.		01.04.10 की स्थिति के अनुसार कुल लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन (+)	वर्ष के दौरान विक्रय/ समायोजन (-)	31.3.10 की स्थिति के अनुसार कुल लागत (-)	1.4.10 की स्थिति के अनुसार मूल्य ह्रास	वर्ष हेतु मूल्य ह्रास (+)	वर्ष में विक्रय/ समायोजन हेतु मूल्य ह्रास	31.3.11 की स्थिति के अनुसार कुल मूल्य ह्रास	31.3.11 की स्थिति के अनुसार	31.3.10 की स्थिति के अनुसार
1.	फर्नीचर	11,14,093	8,254	14,396	11,07,951	8,96,420	45,930	4,181	9,38,169	1,69,782	2,17,673
2.	जुड़नार एवं फिटिंग्स	16,77,999	0	0	16,77,999	12,37,897	79,658	0	13,17,555	3,60,444	4,40,102
3.	कार्यालय उपस्कर	24,56,956	51,566	0	25,08,522	10,95,075	2,06,966	0	13,02,041	12,06,481	13,61,881
4.	कम्प्यूटर्स	56,40,591	11,308	0	56,51,899	45,02,652	4,66,484	0	49,69,136	6,82,763	11,37,939
5.	एयर कंडीशनर्स एवं कूलर्स	7,09,636	0	0	7,09,636	3,76,802	46,297	0	4,23,099	2,86,537	3,32,834
6.	वाहन (साईकिल)	3,888	0	0	3,888	3,888	0	0	3,888	0	0
7.	वाहन (कार)	11,41,801	0	0	11,41,801	6,23,888	1,34,088	0	7,57,976	3,83,825	5,17,913
	चालू वर्ष का कुल	**1,27,44,964**	**71,128**	**14,396**	**1,28,01,696**	**87,36,622**	**9,79,423**	**4,181**	**97,11,864**	**30,89,832**	**40,08,342**
	पिछले वर्ष का कुल	**1,23,05,536**	**9,15,744**	**4,76,316**	**1,27,44,964**	**77,33,588**	**13,49,092**	**3,46,058**	**87,36,622**	**40,08,342**	**45,71,948**

अनुसूची 'घ'

(राशि रुपयों में)

चालू परिसम्पत्तियां नकद एवं बैंक शेष	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
हस्तगत नकदी (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)	64,434	1,94,871
बैंक शेष (अनुसूचित बैंकों के पास)		
क. बचत खाता	13,85,57,809	7,12,08,653
ख. बैंकों के पास एफडीआर (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)	44,20,00,000	0
कुल	58,06,22,243	7,14,03,524

अनुसूची 'ड-'

(राशि रुपयों में)

अन्य चालू परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
बचत खाते पर अदेय एवं ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि	4,36,625	8,03,122
आबंटित जमा पर अदेय एवं ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि	72,15,751	0
कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम पर अदेय एवं ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि	5,10,993	6,22,071
कर्मचारियों द्वारा कम्प्यूटर पर अग्रिम पर अदेय एवं ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि	19,361	16,014
प्रतिभूति जमा पर अदेय एवं ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि	68,250	52,500
कुल	**82,50,980**	**14,93,707**

अनुसूची 'च'

(राशि रुपयों में)

ऋण एवं अग्रिम		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
ऋण*			
स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को आवधिक ऋण		2,60,00,56,603	2,28,11,76,163
घटाएं : वापसी		51,47,73,593	35,15,79,468
		2,08,52,83,010	**1,92,95,96,695**
घटाएं : भुगतान		71,57,10,576	59,46,29,317
		1,36,95,72,434	1,33,49,67,378
जमानती ऋण : 1,11,13,72,434			
अजमानती ऋण : 25,82,00,000			
	कुल (क)	**1,36,95,72,434**	**1,33,49,67,378**
सूक्ष्म वित्तीय योजना के अन्तर्गत आवधिक ऋण		5,58,35,996	5,58,35,996
घटाएं : वापसी		21,20,075	21,20,075
		5,37,15,921	5,37,15,921
घटाएं : भुगतान		**2,69,33,061**	**2,44,57,415**
		2,67,82,860	2,92,58,506
घटाएं : संदिग्ध व अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान (एनजीओज)		48,45,832	40,50,710
जमानती ऋण : 1,75,11,553			
अजमानती ऋण : 44,25,475			
	कुल (ख)	**2,19,37,028**	**2,52,07,796**
जमानती ऋण : 1,12,88,83,987			
अजमानती ऋण : 26,26,25,475			
	कुल (क + ख)	**1,39,15,,09,462**	**1,36,01,75,174**

* 2010-11 वर्ष हेतु विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण 2009-10 (क)	शेष 1.4.2010 की स्थिति के अनुसार (ख)	संवितरण (ग)	वापसी/ प्रत्याह्वान (घ)	भुगतान (ङ)	संदिग्ध व अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान (च)	संदिग्ध व अशोध्य ऋणों का पुनरागन (ठ)	अंत शेष (31.3.2011 की स्थिति के अनुसार) (ज)
एससीए को आवधिक ऋण	1,33,49,67,378	31,88,80,440	16,31,94,125	12,10,81,259	0	0	1,36,95,72,434
सूक्ष्म वित्त ऋण (एससीए)	2,52,07,796	0	0	24,75,646	9,79,432	1,84,310	2,19,37,028
कुल	1,36,01,75,174	31,88,80,440	16,31,94,125	12,35,56,905	9,79,432	1,84,310	1,39,15,09,462

अनुसूची 'छ'

(राशि रुपयों में)

	अन्य ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
क)	**आवधिक ऋण पर बकाया एवं ब्याज पर प्राप्त होने वाली राशि**		
	क) राज्य मध्यस्थ अभिकरण (एससीए)	1,66,19,415	1,36,45,099
	ख) सूक्ष्य ऋण योजना (एससीएस)	9,20,156	7,39,027
	कुल (क)	**1,75,39,571**	**1,43,84,126**
ख)	**नकद वसूली योग्य अग्रिम या वसूली योग्य मूल्य**		
	i) जमा प्रतिभूति :-		
	क) रेडक्रॉस सोसायटी, फरीदाबाद से पट्टे पर लिए गये कार्यालय संबंधी प्रत्याभूति जमा	4,50,000	4,50,000
	ख) दूरसंचार प्राधिकरण	1,13,750	1,13,750
	ग) भारती सेल्यूलर	9,000	9,000
	घ) हरियाणा पिछड़ा विकास कमजोर वर्ग कल्याण निगम (एनएचएफडीसी का एससीए)	12,500	12,500
	ङ) बतरा कार केयर सेन्टर, नई दिल्ली	0	45,000
	च) जी डी फिलिंग स्टेशन	18,000	0
	ii) पार्टी को अग्रिम	32,73,113	24,87,948
	iii) दिल्ली हाट, पीतमपुरा हेतु अग्रिम	33,02,254	34,37,500
	iv) कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम	39,291	1,59,291
	v) कर्मचारियों को कम्प्यूटर अग्रिम	46,474	63,682
	vi) स्टाफ को अग्रिम	27,230	27,774
	vii) वसूली योग्य राशि		
	क) पूर्व अप्रनि से (श्री एम रविकांत)	0	807
	ख) कर्मचारी	6,667	0
	viii) वसूली योग्य राशि		
	क) एनएसकेएफडीसी	0	22,096
	ख) एनबीसीएफडीसी	22,096	22,096
	ग) एनएससीएफडीसी	22,096	22,096
	घ) उप-आयुक्त (हस्तशिल्प) से वसूली योग्य राशि	0	3,53,754
	ङ) एजी (ए एण्ड डी) केरल	0	21,727
	ix) प्राप्त होने वाला आयकर (टीडीएस)	24,173	0
	x) पूर्वदत्त व्यय	10,095	5,740
	कुल (ख)	**73,76,739**	**72,54,761**
	कुल (क + ख)	**2,49,16,310**	**2,16,38,887**

अनुसूची 'ज'

(राशि रुपयों में)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार
	अन्य देयताएं		
क)	**बकाया व्यय**		
	(अ) टेलीफोन व्यय	1,00,925	36,0,76
	(ब) वाहन किराया व्यय	0	40,905
	(स) विद्युत प्रभार	0	25,214
	(द) अन्य	0	2,67,135
	कुल (क)	**1,00,925**	**3,69,330**
ख)	**अन्य देयताएं**		
	संदेय वेतन	8,786	2,08,980
	संदेय इपीएफ	2,41,107	35,285
	अन्य संदेय - वेतन पर टीडीएस	57,808	0
	संदेय सुरक्षा जमा	0	6,000
	भूतपूर्व अप्रनि, श्री एम रविकांत का वसूली खाता	7,809	7,809
	अन्य देय (कर्मचारी)	12,33,438	68,450
	अन्य देय (पार्टी)	12,87,305	12,62,608
	अन्य देय (ईडीपी)	25,44,762	25,34,960
	अन्य संदेय -छात्रवृति योजना	92,711	0
	अग्रिम प्राप्तियां	3,38,312	2,76,401
	रोकी गई राशि (श्री राकेश कुमार पूर्व उप प्रबंधक)	24,855	24,855
	असंबद्ध प्राप्तियां (एसबीआई एवं एसबीओपी में आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त)*	5,06,774	10,90,792
	सकल कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट)	**64,44,592**	**58,85,470**

*** ब्यौरा अनुसूची 'थ' में टिप्पण 2 पर**

अनुसूची 'झ'

(राशि रुपयों में)

प्रावधान	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार
उपदान का प्रावधान	29,71,106	22,61,294
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	22,11,160	16,47,899
कुल	**51,82,266**	**39,09,193**

अनुसूची '□'

(राशि रुपयों में)

क	**ऋणों पर ब्याज**	**31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**
	ऋणों पर ब्याज (एससीएज)	3,13,11,116	2,91,08,088
	सूक्ष्म ऋण योजना (एनसीएज) पर ब्याज	3,09,677	4,65,585
	कुल	**3,16,20,793**	**2,95,73,673**

अनुसूची 'ट'

(राशि रुपयों में)

अन्य प्राप्तियां	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सावधि जमा पर ब्याज	65,89,685	0
बचत खातों पर ब्याज	59,30,253	76,63,702
कर्मचारियों के गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	8,922	24,570
कर्मचारियों के कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज	3,347	4,381
रेडक्रॉस सोसाइटी, फरीदाबाद में प्रतिभूति जमा पर ब्याज	15,750	15,750
विविध प्राप्तियां	62,158	17,862
आरटीआई शुल्क	212	296
दंड ब्याज	1,10,583	79,610
अप्रनि के वाहन प्रयोग पर वसूली	1,960	4,046
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	178	1,444
कुल	**1,27,23,048**	**78,11,661**

अनुसूची 'ठ'

(राशि रुपयों में)

		31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार
	कर्मचारियों को अदायगी तथा उनके लिए प्रावधान		
क)	**अप्रनि को वेतन एवं भत्ते**		
	वेतन एवं भत्ते	8,12,351	6,76,267
	चिकित्सा प्रतिभूति	0	1,28,838
	विदेश सेवा अंशदान	1,53,005	1,72,581
	जलपान की प्रतिपूर्ति	3,666	0
	समाचार पत्र व्यय की प्रतिपूर्ति	5,533	7,369
	कुल (क)	**9,74,555**	**9,85,055**
ख)	**कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते**		
	वेतन एवं भत्ते	1,08,67,186	95,86,262
	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	14,99,248	13,52,253
	वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति	17,540	15,189
	परिवहन सहायता	9,68,762	8,70,960
	समयोपरि भत्ता	12,150	24,800
	बाल शिक्षा भत्ता	2,25,305	2,01,357
	मानदेय	0	2,200
	वाहन अनुरक्षण भत्ता	30,240	26,470
	वर्दी भत्ता	11,785	10,724
	नान-प्रेक्टिस भत्ता	22,175	19,750
	मकान अनुरक्षण भत्ता	7,428	6,733
	गृह सज्जा भत्ता	1,02,203	90,816
	स्वास्थ्य अनुरक्षण भत्ता	15,181	13,314
	नौकर भत्ता	1,22,372	1,02,782
	जलपान व्यय की प्रतिपूर्ति	2,53,484	2,35,465
	समाचार पत्र व्यय की प्रतिपूर्ति	1,86,929	1,65,550
	पट्टा किराया (शुद्ध वसूली)	0	46,965
	छुट्टी वेतन	6,10,199	7,45,202
	एलटीसी व्यय	0	15,682
	उपदान	8,58,750	11,39,451
	कर्मचारी कल्याण व्यय	3,36,122	5,20,562
	भविष्य निधि/पेंशन निधियों में निगम का अंशदान	12,41,612	11,68,710
	कुल (ख)	**1,73,88,671**	**1,63,61,197**
	कुल (क + ख)	**1,83,63,226**	**1,73,46,252**

अनुसूची 'ड'

(राशि रुपयों में)

प्रशासनिक व अन्य व्यय	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
विज्ञापन व्यय	0	3,22,775
एएमसी प्रभार	1,92,105	1,35,470
जागरूकता सृजन पर व्यय	1,51,684	3,95,064
बैंक प्रभार	12,617	6,938
जिल्दसाजी प्रभार	3,997	31,200
निदेशक मंडल बैठक व्यय	36,288	39,685
पुस्तकें व पत्रिकाएं	13,627	14,827
व्यापार संवर्धन/मेजबानी व्यय	12,049	3,67,580
केबिल लगवाने का व्यय	3,900	0
निगम सदस्यता शुल्क	52,758	50,000
कम्प्यूटर व्यय	0	5,850
दैनिक मजदूरी	1,40,792	5,56,174
डी जी सेट चालन व अनुरक्षण	27,041	22,135
विद्युत प्रभार	2,53,697	2,71,951
उद्यमिता विकास कार्यक्रम	8,28,000	38,84,428
मूल्यांकन अध्ययन प्रभार	0	1,68,331
प्रदर्शनी/सामाजिक विकास व्यय	7,80,128	7,62,893
शुल्क एवं चंदा	500	19,864
दायर करने का शुल्क	47,500	23,850
वाहनों हेतु ईंधन प्रभार	2,01,132	1,70,143
सामान्य व्यय	7,299	16,228
एनजीओ को सहायता अनुदान (एमसीएस)	0	91,000
वेबसाइट चलाने के प्रभार	1,500	0
मानदेय (अन्य)	24,000	0
राजभाषा कार्यान्वयन पर व्यय	2,140	8,500
बीमा प्रभार	20,284	55,930
अंतर्राष्ट्रीय उपहार मेला, न्यूयार्क में व्यय	0	58,704
आइएसओ प्रमाणन व्यय	3,309	3,941
पट्टा किराया (दिल्ली हाट, पीतम पुरा)	1,35,246	0
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0	75,916
बैठक व्यय	10,894	16,525
हैबिटेट वर्ल्ड का सदस्यता शुल्क	6,618	6,618

अनुसूची 'ड क्रमशः'

(राशि रुपयों में)

प्रशासनिक व अन्य व्यय	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर व्यय	3,807	7,203
कार्यालय अनुरक्षण व्यय	18,567	2,11,371
कार्यालय किराया व्यय	8,12,148	7,86,364
लेखा परीक्षकों को बाह्य जेब खर्च (यात्रा)	40,500	18,000
मनोरंजन व्यय (अप्रनि कार्यालय)	1,438	0
डाक एवं टेलीग्राम व्यय	94,378	1,09,640
समाचार पत्रिका मुद्रण एवं प्रकाशन प्रभार	0	3,01,598
मुद्रण व लेखन सामग्री व्यय	2,51,503	5,45,310
व्यवसायिक प्रभार	76,389	25,953
एससीएज की संवर्धनात्मक गतिविधियाँ	0	43,247
कार्यालय के जलपान व्यय	0	6,849
आंतरिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	59,895	54,599
सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	77,210	72,798
वाहनों की मरम्मत व अनुरक्षण	76,739	40,426
मरम्मत व अनुरक्षण (कम्प्यूटर)	51,066	6,283
मरम्मत एवं अनुरक्षण (एयरकंनीशनर्स एवं कूलर)	2,285	0
मरम्मत व अनुरक्षण	18,685	0
प्रतिधारण प्रभार	4,400	0
सुरक्षा किराया व्यय	4,15,464	3,80,086
कार्मिक भर्ती व्यय	1,00,129	80,475
टेलीफोन व्यय	3,59,676	4,63,726
प्रशिक्षण व्यय (स्टाफ)	0	51,174
प्रशिक्षण व्यय (अप्रनि)	0	8,000
प्रशिक्षण व्यय - एससीए अधिकारी	0	1,590
यात्रा व्यय (निदेशक गण)	5,62,152	5,57,173
यात्रा व्यय (अन्य)	33,465	4,250
यात्रा व्यय (स्टाफ)	9,83,012	2,56,031
वाहन किराया प्रभार	2,07,094	4,01,199
कार्यशाला/सम्मेलन/संगोष्ठी व्यय	3,09,494	6,32,516
कुल	**75,28,601**	**1,26,48,381**

अनुसूची 'ढ'

(राशि रुपयों में)

संदिग्ध व अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
संदिग्ध व अशोध्य ऋण (एनजीओज)	9,79,432	13,12,111
कुल	**9,79,432**	**13,12,111**

अनुसूची 'ण'

(राशि रुपयों में)

क	विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडीज) की छात्रवृति के तहत सहायता/अनुदान	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार
	प्रारंभिक जमा	44,36,581	0
	जोड़ें : प्राप्तियां	5,17,50,734	53,24,680
	घटाएं : व्यय	35,80,537	8,88,099
	रोकड़ बाकी	5,26,06,778	44,36,581
	उप कुल	**5,26,06,778**	**44,36,581**
ख	मैनुअल स्कैविन्जर्स पुनर्वास योजना (एआरएसएस) के तहत सहायता अनुदान		
	प्रारंभिक जमा	1,61,81,147	1,38,17,858
	जोड़ें : प्राप्तियां	5,89,877	51,86,877
	घटाएं : व्यय	1,64,52,372	28,23,588
	रोकड़ बाकी	3,18,652	1,61,81,147
	उप कुल	**3,18,652**	**1,61,81,147**
	* कुल जोड़ (क + ख)	**5,29,25,430**	**2,06,17,728**

अनुसूची 'त'

(राशि रुपयों में)

पूर्व अवधि आय/व्यय	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
प्रशासनिक व अन्य व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
एएमसी प्रभार (एनएचएफडीसी की वेबसाइट)	0	10,290	0	0
कार्यशाला व्यय	0	0	0	50,000
प्रचार व्यय	0	17,420	0	0
विज्ञापन व्यय	0	0	0	25,000
ईडीपी खाता	0	4,41,480	0	6,50,634
कार्यालय अनुरक्षण व्यय	0	0	0	117
व्यापार संवर्धन व्यय	0	0	0	15,000
प्रदर्शनी व्यय	0	0	0	4,20,174
अच्छी वसूली पर प्रोत्साहन - एससीए	0	85,075	0	0
कर्मचारियों हेतु वेतन एवं प्रावधान - ए 41				
वेतन एवं भत्ते (अप्रनि)	0	2,43,977	0	3,68,277
विदेश सेवा योगदान (अप्रनि)	0	71,927	0	0
वेतन एवं भत्ते (स्टाफ)	0	1,62,143	0	17,21,786
पिछले वर्ष की आय				
बचत बैंक खाते पर ब्याज	0	1,15,861	1,52,665	2,994
सूचना अवधि के बदले में वेतन	0	0	1,288	0
कुल	**0**	**11,48,173**	**1,53,953**	**32,53,982**
निवल शेष		**11,48,173**		**31,00,029**

अनुसूची 'थ'

(राशि रुपयों में)

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र, आय-व्यय लेखे के अंश बने हुए लेखाओं पर

लेखाकरण और टिप्पण

क) **लेखाकरण नीतियाँ**

1. **लेखाकरण का आधार**

निगम अपने वित्तीय लेखाओं का रख रखाव वाणिज्यिक पद्धति के लेखाकरण पर कर रहा है। जब तक अथवा न बताया जाए, लेखा प्रचलित तरीके से ही तैयार किए जाते हैं और सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं।

2. **स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन**

स्थायी परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा उनकी पूर्ववर्ती लागत पर किया जाता है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास**

क) निगम द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में दी गई संगत दरों पर खरीद या बिक्री की तारीख के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर ह्रासित मूल्य पद्धति पर विभिन्न अचल परिसंपत्तियों मूल्यह्रास की व्यवस्था की जाती है।

ख) ऐसी परिसंपत्तियां, जिनकी लागत प्रति वस्तु 5000/- रुपये से कम है के लिए मूल्यह्रास @100% उपबंधित है।

4. **आय**

ऋण तथा निवेश पर ब्याज दंड ब्याज को छोड़कर लागू दर के अनुसार प्रोद्‌भवन आधार के हिसाब में लिया जाता है जिसे प्राप्ति आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

5. **कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ :**

क) चालू वर्ष (2010-2011) में एलआईसी इंडिया द्वारा इसका सही बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और उपदान व छुट्टियों का नकदीकरण की देयता की राशि इसी प्रकार लेखाबद्ध की गई है।

ख) निगम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 12% की दर से परिभाषित कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान किया जाता है, जिसका हिसाब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, फरीदाबाद (हरियाणा) रखता है तथा इसको आय व व्यय के खाते में डाल दिया जाता है।

6. निगम ने 29.8.2008 को निदेशक मंडल की 53वीं बैठक में अनेक परिसंपत्तियों और अशोध्य ऋणों की पहचान करने तथा उनके लिए प्रावधान रखने हेतु विवेकपूर्ण मानदंड की नीति तैयार की है । यह नीति वित्तीय वर्ष 2008-09 से लागू कर दी गई है।

अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान तथा संदिग्ध व अशोध्य ऋण के संबंध में प्रावधान के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा यथानुमोदित विवेकपूर्ण मानदंडों के मामलों में निम्नलिखित नीतियों का पालन किया जाता है:-

क) जिस तिथि को तुलनपत्र तैयार किया जाता है तब तक के संदिग्ध व अशोध्य ऋण जो पाँच साल से ज्यादा समय से बकाया हैं, तथा जिनकी सरकारी प्रतिभूति/ आदेश/ आश्वासन तुलन-पत्र तैयार करने की तिथि तक उपलब्ध नहीं है उनके लिए प्रावधान किया जायेगा।

ख) एनजीओ के मामले में अशोध्य व संदिग्ध ऋण, जो तुलन पत्र तैयार करने की तिथि तक उपलब्ध नहीं है उनके लिए प्रावधान किया जायेगा।

इस उद्देश्य के लिए एनजीओ द्वारा ऋण की राशि पर जमानत सावधि जमा के तौर पर 25% तथा संपार्श्विक जमानत के तौर पर 40%जैसी भी स्थिति हो का प्रावधान किया जायेगा।

ग) ऋण का 100% (उपर्युक्त उल्लेखित अवधि का बकाया मूलधन/ब्याज) तथा उपर्युक्त के अनुसार प्रतिभूत नहीं है का प्रावधान किया जाएगा।

7. नकद प्रवाह विवरण लेखा मानक 2 की परोक्ष विधि के आधार पर तैयार किया गया है तथा तुलन-पत्र के साथ संलग्न है।

ख. लेखाओं पर टिप्पणी

1. चालू वर्ष में मूल्यह्रास की गणना करने के तरीके को बदला गया है। पिछले साल अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना निम्न शब्दों में की गई थी: "यदि परिसंपत्ति 15 तारीख को या उससे पहले अर्जित की जाती है तो मूल्यह्रास पूरे माह का वसूल किया जाता है और यदि परिसंपत्ति 15 तारीख के बाद अर्जित की जाती है तो महीने का कोई मूल्यह्रास वसूल नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में उपबंधित संगत दरों पर खरीद या बिक्री की तिथि के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर चालू वर्ष में मूल्यह्रासित मूल्य निधि के तहत मूल्यह्रास की व्यवस्था की गई है" तथापि, दोनों तरीकों के बीच मूल्यह्रास राशि पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. भारत सरकार के पत्र सं. एफ नं.1-8/2007 डीडी-IV दिनांक 28.6.2010 द्वारा स्वीकृत 25.00 करोड़ रुपये की शेयर आवेदन राशि और पत्र सं. एफ नं. 1-8/2007 डीडी-IV दिनांक 30-12-2010 द्वारा स्वीकृत 20.00 करोड़ रुपये के मुकाबले निगम ने चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निगम की सामान्य शेयर **पूंजी** में 45.00 करोड़ रुपये (1000 रुपये प्रति पूर्णतया प्रदत्त साम्य शेयर के 4,50,000 संख्या) के सामान्य शेयर आवंटित किए। उक्त राशि 1 जुलाई, 2010 और 3 जनवरी 2011 को क्रमश: निगम के बैंक खाते (स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सैक्टर-9 फरीदाबाद) में प्राप्त हुए/डाल दी गई। ऊपर्युक्त शेयर अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति के नाम पर आवंटित किए गए।

   उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रशासनिक मंत्रालय पत्र सं. एफ. नं. 1-8/2007-डीडी-IV दिनांक 24.3.2011 द्वारा 5.00 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है सिके लिए प्रति 1000/-रुपये (पूर्णत: प्रदत्त) के 50,000 सामान्य शेयर 21.4.2011 को अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम पर आवंटित किए गए हैं। उक्त राशि 28 मार्च, 2011 को निगम के बैंक खाते (स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सेक्टर-9, फरीदाबाद) में प्राप्त हुई/में डाल दी गई। यह (आवंटन लंबित रहने तक) शेयर आवेदन राशि के खाते में परिलक्षित की जा रही है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25(3)(ख) के अुसार निगम लाभांश घोषित और अधिशेष के विकास योजनाओं के लिए वित्त बढ़ाने के लिए लगा दिया जाता है। तथा इसलिए रु. 1,55,29,296 के अधिशेष को सामान्य आरक्षित लेखे में अंतरित किया गया है।

4. रुपये 4,50,000/- की राशि मैसर्स रैडक्रास सोसायटी, फरीदाबाद स्थित रैडक्रास भवन के परिसर को निगम के लिए पट्टे पर लेने हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में दी गई है। ब्याज राशि का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

5. 31-3-2011 तक कुल राशि रु. 260.00 करोड़ (पिछला वर्ष 228.12 करोड़) आवधिक ऋण के तौर पर जारी कर दी गई है और शून्य राशि (पिछले वर्ष 5.58 करोड़) सूक्ष्म ऋण वित्त पोषण योजना के अंतर्गत जारी कर दी गई है।

6. श्री हर्ष भाल, आईआईएस, अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के संबंध में 1,53,005/- रुपये की राशि 14.09.2010 से 31.3.2011 तक 'विदेश सेवा योगदान' शीर्षक के अंतर्गत बही खातों में छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान नाम दिया गया है। वेतन निर्धारण और अन्य निबन्धन व शर्तों का का मामला प्रशासनिक मंत्रालय के पास अभी भी लंबित है। तथापि उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अधिसूचना नं. 1-6/2007-डीडी IV दिनांक 23-09.2010 के आधार पर परिलब्धियाँ (रुपये 8,21,550/-) अदा कर दिए गए हैं।

7. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निगम ने आयकर अधिनियम की धारा 12कक के अधीन पंजीकरण प्राप्त कर किया है। निगम ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)ग (iv) के अंतर्गत छूट प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र भी दाखिल किया है, जो विभाग के द्वारा विचाराधीन है।

8. संविदा की अनुमानित राशि पूंजीगत लेखे पर निष्पादित की जाती है तथा प्रवाहित न की गई राशि रू. शून्य है (अग्रिम का निबल) (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य)

9. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम :- निदेशकों की राय में सभी चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिम का मूल्य वसूली पर निर्भर करता है जो व्यावसाय की सामान्य क्रिया विधि में कम से कम तुलन पत्र में दर्शायी गई राशि के समतुल्य होगी।

10. रुपये 58,06,22,243/- के नकद तथा बैंक शेष (अनुसूची 'घ') में भारत सरकार से प्राप्त अनुप्रयुक्त साम्य शेयर के कारण 43.50 करोड़ रुपए शामिल हैं जो बैंक में बचत खातों और एफडीआर के रूप में रखे गए थे रुपये 58,06,22,243/- की नकदी तथा बैंक शेष में निम्नलिखित शामिल हैं:-

हस्तगत नकदी	रुपये	64,434/-

अनुसूचित बैंकों के बचत बैंक खाते में बकाया:

क)	बचत खाता	रुपये	13,85,57,809/-
ख)	बैंकों में एफडीआर	रुपये	44,20,00,000/-

11. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन करने पर उपदान के लिए संचित प्रावधान 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार रु. 31,20,044/- है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए उपदान के लिए रु. 8,58,750/- का रखा गया है। बीमांकिक मूल्यांकन की तारीख 31.3.2011 है। तथापि, रुपये 1,48,938/- की राशि उपदान के तौर पर प्रावधान में से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान श्री एस बाबूराजन भूतपूर्व-स.प्र.(वित्त) को अदा की गई है। किंतु बीमांकिक मूल्यांकन में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

12. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कि गए बीमांकिक मूल्यांकन के मुताबिक, छुट्टी नकदीकरण के लिए 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार रुपये 22,58,098 का संचित प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान छुट्टी नकदीकरण के लिए रुपये 6,10,199/- का प्रावधान किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन की तिथि 31.3.2011 है। तथापि, रुपये 46,938/- की राशि छुट्टी वेतन के तौर पर प्रावधान में से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान श्री एस बाबूराजन भूतपूर्व-स.प्र.(वित्त) को अदा की गई है लेकिन इसके बीमांकिक मूल्यांकन में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अत: 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार निवल प्रावधान रुपये 22,11,160/- है।

13. 29 अगस्त, 2008 को संपन्न 53वीं मंडल बैठक में अनुमोदित नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में गैर सरकारी संगठनों हेतु एनएचएफडीसी की लेखा बहियों में अशोध्य व संदिग्ध ऋण का कुल प्रावधान 9,79,432 रुपये किया गया। (पिछले वर्ष का प्रावधान: एफसीए - शून्य, एनजीओ - 13,12,111/- रुपये, कुल प्रावधान : 13,12,111/-)

वर्ष 2009-10 के दौरान संदिग्ध ऋण की अधिकता का प्रावधान (एससीए/एनजीओ) शीर्ष के अंतर्गत 1,84,310/- रुपये वित्त वर्ष 2009-10 में की गई प्रावधान (एनसीए) से शून्य रुपये तथा 1,84,310/- रुपये 08 एंजीओज से वित्त वर्ष 2010-11 के विरूद्ध वापस ली गई।

14. संघ राय क्षेत्रों से कोई सरकारी प्रतिभूति प्राप्त नहीं की जा रही है हालांकि इस बारे में काफी लंबे समय से पत्राचार चल रहा है। परिणामस्वरूप इन ऋणों को प्रतिभूतिरहित ग्रहण दर्शाया गया है।

15. निगम कार्यालय परिसर को भारतीय रैड क्रॉस सोसायटी फरीदाबाद से लीज के आधार पर रु. 67,679 प्रतिमाह की दर से 1.12.2009 को तीन वर्ष के लिए ले चुका है।

16. निगम ने मैनुअल स्कैविंजर्स पुनवार्स योजना (एसआरएमएस) के तहत 31.2.2011 तक रु. 216.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्राप्त की, जिसमें से रु. 1,64,52,372/- की राशि (पिछले वर्ष रु. 28,23,588/-) वित्त वर्ष 2010-11 में योजना के कार्यान्वयन के तहत उपगत हुई तथा बकाया राशि रु. 3,18,652/- 31.3.2011 को निगम के पास बिना खर्च रखी है जिसका ब्यौरा **अनुसूची 'थ'** में दिया गया है।

17. निगम ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 52,50,000/- रु. की राशि प्राप्त की (जिसमें वर्ष 2009-10 में संवितरण हेतु अनुमानित छात्रवृत्ति रु. 50 लाख तथा एनएचएफडीसी द्वारा इसके बाबत किया जाने वाला प्रशासनिक व्यय जो विहित छात्रवृत्ति के 5% के रूप में 2.50 लाख रुपये है, शामिल है) जिसमें से वित्तीय वर्ष 2010-11 में योजना के कार्यान्वयन के तहत रु. 35,80,537/- की राशि (पिछले वर्ष 8,88,099) खर्च हुई तथा 31.3.2011 को एनएचएफडीसी के पास बिना खर्च रु. 5,26,06,778/- बकाया राशि के तौर पर शेष है। जिसका ब्यौरा **अनुसूची 'थ'** में दिया गया है।

पात्र विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृति प्रदान करने हेतु वर्ष के दौरान 24.1.2011 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (ट्रस्ट फंड) से 510.00 लाख रू. की राशि (5.00 करोड़ रू. छात्रवृति हेतु तथा 10.00 लाख रू., कुल राशि का 2 प्रतिशत योजना प्रचालन के प्रशासनिक व्यय के रूप में) से प्राप्त हुई । योजना के अनुसार संपूर्ण राशि को फिक्सड डिपोजिट खाते में रखा गया है ।

एनएचएफडीसी ने विकलांग व्यक्तियों हेतु छात्रवृत्ति योजना 2009-10 के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन लागत के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2009-10 के तहत प्राप्त कुल राशि रु. 52,50,000/- में से रु. 8,29,236 की राशि खर्च की। एनएचएफडीसी व्ययगत विज्ञापन लागत की प्रतिपूर्ति के मामलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से मीडिया योजना शेष के तहत राशि जारी कराने हेतु प्रयासरत है। यह व्यय चालू वर्ष के छात्रवृत्ति व्यय के तहत **अनुसूची 'थ'** में दर्शाया गया है।

एनएचएफडीसी ने विज्ञापन पर जो राशि खर्च की है उसकी प्रतिपूर्ति के मामले को मंत्रालय से उठाया जा रहा है ताकि वह राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के व्ययगत मीडिया योजना शीर्ष के तहत जारी की जा सके।

18. रु. 25,44,762/-(समेकित) की राशि जो विभिन्न परामर्शदाताओं को दक्षता व उद्यमिता विकास कार्यक्रम के खाते में संदेय के रूप में लेखांकित है यद्यपि उक्त का भुगतान लेखा परीक्षा विवरण/उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति आदि हेतु लंबित है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कार्यक्रम 31.3.2011 को पूरा कर लिया गया है।

19. प्रशासनिक मंत्रालय (एमओएसो एण्ड ई) के का.ज्ञा सं.2-11/2009-डीडी-IV दिनांक 30-4-2009 के निदेशानुसार, मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रतिनिधियों सहित एक पारिश्रमिक समिति के गठन का मामला लिया गया। पारिश्रमिक समिति वित्तीय वर्ष 2010-11 तक देय परिवर्ती वेतन (कार्य निष्पादन संबद्ध वेतन अर्थात् पीआरपी) और डीपीई आय निर्धारित सीमा के भीतर कर्मचारियों को इसके वितरण की नीति का निर्णय करेगी। उसका फैसला होगा तब उसका हिसाब किया जाएगा।

20. असंबद्ध प्राप्तियाँ

अन्य देनदारी (अनुसूची-I) असंबद्ध प्राप्तियाँ (क्रमांक नं. ट) में रु. 5,06,774 शामिल है, जो कि रियल टाइम ग्रोस सेंटलमेंट सिस्टम के माध्यम से बैंक बचत खाता एसबीआई, नीलम चौक, फरीदाबाद, एसबीआई, मिनी सेक्रेट्रिएट शाखा, सैक्टर-12, फरीदाबाद व एसबीपी, सैक्टर-9, फरीदाबाद में प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्तियों के स्रोत के संबंध में पता होने के बाद बही खातों में आवश्यक लेखांकन किया जाएगा। इन प्राप्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

प्राप्ति की तारीख	**राशि प्राप्त हुई (रुपयों में)**
क) आरंभिक शेष	113842
ख) बैंक ऑफ इंडिया, सैक्टर-12, फरीदाबाद	
06.04.10	43391
06.04.10	16000
31.08.10	1000
27.10.10	31
30.10.10	43200
07.12.10	200000
14.01.11	43300
12.02.11	1000
23.02.11	10
कुल (ख)	347932
ग) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सैक्टर 9, फरीदाबाद	
24.06.2010	45000
कुल (ग)	**45000**
कुल (क+ख+ग)	**506774**

21. दिल्ली हाट, पीतमपुरा में तीन स्टाल अर्जित करने के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को 31 मार्च, 2009 को 34,37,500/- रुपये की राशि अदा की गई। 9 जून, 2010 को दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक करार हुआ है। पट्टे की अवधि 12 जून, 2023 तक है। अर्थात् 12 वर्ष 8 माह और 7 दिन। 1.10.2010 से 31.3.2011 तक की अवधि के पट्टे किराए के तौर पर वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए 1,35,246 रुपये की राशि आय-व्यय खाते पर प्रभारित की गई है। लगातार 12 वित्तीय वर्षों और जब तक अग्रिम पूरी तरह समायोजित नहीं जाता 2,70,492/- रुपये की राशि आय-व्यय खाते पर प्रभारित की जाएगी।

22. **आकस्मिक देयता**

श्री टी. अनंत रेड्डी सुपुत्र श्री सुरेन्द्र रेड्डी निवासी 12-5-27/3, विजयपुरी, दक्षिण लालगुडा, सिकन्दराबाद, हैदराबाद जिला ने 2006 की रिट याचिका सं. 28-23 के द्वारा प्रबंध निदेशक, एपी विकलांगुला कोऑपरेटिव कारपोरेशन तथा अन्य के खिलाफ हैदराबाद स्थित आन्ध्रप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में (एनएचएफडीसी को प्रतिवादी नं.2 के बनाया गया है) रिट याचिका दायर की गई थी।

याचिकादाता चाहता है कि बकाया देय राशियों केवल हिस्सा का एक बार में निपटान तथा ब्याज को यों का त्यों माफ कर दिया जाए।

एनएचएफडीसी का तर्क है कि यह एससीए और उधार लेने वाले के बीच निपटारे का मामला है; जहाँ तक एनएचएफडीसी के बीच आचरण में कुछ संबंध नहीं है।

23. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची (VI) के भाग II के पैरा, 4 के प्रावधानों के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना:

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेश को पारिश्रमिक

विवरण	2010-2011	2009-10
वेतन और भत्ते	रुपये 8,12,351/-	रुपये 6,76,267/-
अन्य लाभ	रुपये 1,62,204/-	रुपये 3,08,788/-
कुल	रुपये 9,74,555/-	रुपये 9,85,055/-

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को उसकी नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार सरकारी कार प्रदान की गई है। तदनुसार, 2010-11 के दौरान उससे 1960 रुपये प्राप्त हुए हैं।

24. **विदेशी मुद्रा खर्च**

चालू वर्ष: शून्य (पिछले साल 2,25,135/- रुपये)

25. **प्रतिशेयर अर्जन**

क्र.सं.	विवरण	2010-2011	2009-2010
क.	सामान्य शेयर धारियों को वर्ष के लिए व्यय से अधिक लाभ (रुपये)	1,55,29,296	2,74,75,731
ख.	सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या		
	मूल	13,53,763	11,26,357
	कम	14,04,448	11,41,729
ग.	प्रति शेयर मूल अर्जन (क/ख) रुपये	11.47	24.39
घ.	व्यय प्रति शेयर अर्जन (रु.)	11.06	24.07
ङ.	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रुपये)	1,000	1,000

26. वर्ष के दौरान पूर्वकालीन समायोान रु. 11,48,173 (पिछला वर्ष रु. 31,00,029) आय व व्यय खाते से निकाले गए जिसका विवरण अनुसूची (त) में दिया गया है।

27. पिछले वर्ष के आँकड़ो को जहाँ कहीं भी चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ समरूप करना आवश्यक या उन्हें पुन: वर्गीकृत/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

28. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अंतर्गत अतिरिक्त सूचना:-

तुलन पत्र सारांश तथा कंपनी के सामान्य व्यावसाय का संक्षिप्त विवरण:-

तुलन पत्र सारांश तथा कंपनी के सामान्य व्यावसाय का संक्षिप्त विवरण

i) **पंजीकरण विवरण**

पंजीकरण सं.	05-33466	स्टेट कोड - 05
तुलन पत्र तिथि	31.03.2011	

ii) **वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रुपयों में)**

सार्वानिक निर्गम:	शून्य	राईट निर्गम:	शून्य
सरकारी अंशदान:	4,50,000*	बोनस निर्गम:	शून्य
प्राइवेट:	शून्य		

(* इसके अन्दर 50,000 शेयर नहीं मिलाए गए जिसके लिए आवंटन होने तक शेयर आवंटन राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं. 1.8/2007-डीडी-IV दिनांक 24.3.2011को प्राप्त हुई जो 21.4.2011 को आवंटन हुए।)

iii) **कोष जुटाने और लगाने के हालात**

			राशि हजार रुपये में
कुल देयताएं	20,08,389	कुल परिसंपत्तियां	20,08,389
निधियों के श्रोत			
प्रदत्त पूंजी	16,18,010	रिजर्व व अधिशेष	2,75,827
जमानती ऋण	शून्य	अजमानती ऋण	शून्य
निधियों का अनुप्रयोग			
निवल स्थाई परिसंपत्तियां	3,090	निवेश	शून्य
निवल चालू परिसंपत्तियां	5,49,237	विविध व्यय	शून्य
संचित घाटा	शून्य		

iv) कंपनी का निष्पादन

प्राप्ति	44,528	कुल खर्च	28,999
कर पूर्व लाभ (व्यय उपरांत अधिक आय)	15,529	कर पश्चात् लाभ (व्यय उपरांत अधिक आय)	15,529
प्रत्येक शेयर अर्जित			
	मूल 11.47 कम 11.06	लाभांश	लागू नहीं

v) कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं (आर्थिक शर्तों के अनुसार)

मद कोड सं. (आईटीसी कोड) : शून्य

उत्पाद विवरण : वित्त पोषक परियोजनाएं

अनुसूची 'क' से 'थ' लेखों का अभिन्न अंग है।

समसंख्यक तिथि की हमारी संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की ओर से एवं उनके निमित्त
ह0
अरुण एस. कुट्टी
एम.नं. 84560
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.8.2011

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह0
(हर्ष भाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ह0
(दीपक गुप्ता)
निदेशक

ह0
(जी.एस. पंवार)
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

ह0
(आर.के.मिश्र)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपयों में)

	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष		31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष	
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
व्यय पर आय की अधिकता	1,55,29,296		2,74,75,731	
समायोजन हेतु				
मूल्यहास	9,79,423		13,49,092	
अशोध्य ऋणों व अग्रिम हेतु प्रावधान	9,79,432		13,12,111	
बिक्री पर हानि/स्थायी परिसंपत्तियों का समायोजन	(178)		74,472	
प्रचालन लाभ कार्यगत पूंजी बदलाव से पहले	1,74,87,973		3,02,11,406	
समायोजन हेतु				
दूसरी चालू परिसंपत्तियों तथा ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि/कमी	(4,23,48,416)		(18,42,96,824)	
चालू देयताओं तथा अन्य संदेक में वृद्धि/कमी	3,28,66,824		77,68,210	
प्रावधान में वृद्धि (कमी)	12,73,073		18,60,863	
	(82,08,519)		(17,46,67,751)	
प्रचालन जनित नकदी	92,79,454		(14,44,56,345)	
प्रचालन गतिविध्यिों से शुद्ध नकदी प्रवाह		92,79,454		(14,44,56,345)
निवेश गतिविधियों मं नकदी प्रवाह				
स्थायी परिसंपत्ति की (खरीद)	(71,128)		(9,15,744)	
स्थायी परिसंपत्ति की (बिक्री)	10,393		55,786	
निवेश गतिविधियों में निबल नगद प्रवाह		(60,735)		(8,59,958)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी	50,00,00,000	50,00,00,000	9,00,00,000	9,00,00,000
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह				
नकद एवं नकद समतुल्य में निबल वृद्धि/ (कमी)		50,92,18,719		(5,53,16,303)
जोड़े: नकद एवं नकद समतुल्य का प्रारंभिक शेष		7,14,03,524		12,67,19,827
नकद एवं नकद समतुल्य का अंतिम शेष		58,06,22,243		7,14,03,524

टिप्पणी: **(क) उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण इंटीट्यूट ऑफ चाटर्ड एकाउन्टेन्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक-3 के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति प्रयुक्त करते हुए तैयार किया गया।**

(ख) नकदी तथा नकदी समतुल्य में अनुसूचित बैंकों के बकाया/जमा नकद शामिल हैं।

इस तिथि की हमारी संलग्न परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में प्रमाणित

कृते विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की ओर से एवं उनके निमित्त
ह0
(अरुण एस. कुट्टी)
साझेदार
एम.नं. 84560
दिनांक: 23.8.2011
स्थान: नई दिल्ली

ह0
(दीपक गुप्ता)
निदेशक

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह0
(हर्ष भाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ह0
(जी.एस. पंवार)
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

ह0
(आर.के.मिश्र)
कंपनी सचिव

परोक्षी प्रपत्र

मैं...नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन का सदस्य होने के नाते एतद् द्वारा श्री................................ को दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को होने वाली और उसके स्थगन पर होने वाली कंपनी की 14वीं साधारण बैठक में मेरे लिए तथा मेरी ओर से मतदान करने के लिए अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ।

दिनाँक....................................को हस्ताक्षरित।